www.dhyeyaias.com

जनवरी 2021 | अंक 04

# PERFECT 7

## साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 कृषि कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

एक अवलोकन

2 नई व्हाट्सऐप नीति एवं गोपनीयता से जुड़े मुद्दे

3 नि:शुल्क टीकाकरण का अधिकार : समय की माँग

4 भारतीय उच्च शिक्षा में सुधार की आवश्यकता

5 संघाई सहयोग संगठन एवं भारत

6 बैड बैंक की अवधारणा : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

7 कृषि विविधीकरण : खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण


ध्येय IAS
most trusted since 2003

# ध्येय IAS : एक परिचय

**विनय कुमार सिंह**
**संस्थापक एवं सी.ई.ओ.**

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

**क्यू. एच. खान**
**प्रबंध निदेशक**

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

# Perfect 7 : एक परिचय

**कुरबान अली**
**मुख्य संपादक**

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

**आशुतोष सिंह**
**प्रबंध संपादक**

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

# प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

## ध्येय टीम

| | |
|---|---|
| संस्थापक एवं सी.ई.ओ. | ➢ विनय कुमार सिंह |
| प्रबंध निदेशक | ➢ क्यू. एच. खान |
| मुख्य संपादक | ➢ कुरबान अली |
| प्रबंध संपादक | ➢ आशुतोष सिंह |
| संपादक | ➢ जीत सिंह<br>➢ अवनीश पाण्डेय<br>➢ ओमवीर सिंह चौधरी<br>➢ रजत झिंगन |
| संपादकीय सहयोग | ➢ प्रो. आर. कुमार |
| मुख्य लेखक | ➢ अजय सिंह<br>➢ अहमद अली<br>➢ स्वाती यादव<br>➢ स्नेहा तिवारी |
| लेखक | ➢ अशरफ अली<br>➢ गिरराज सिंह<br>➢ हरिओम सिंह<br>➢ अंशुमान तिवारी |
| समीक्षक | ➢ रंजीत सिंह<br>➢ रामयश अग्निहोत्री |
| आवरण सज्जा एवं विकास | ➢ संजीव कुमार झा<br>➢ पुनीश जैन |
| विज्ञापन एवं प्रोन्नति | ➢ गुफरान खान<br>➢ राहुल कुमार |
| प्रारूपक | ➢ कृष्ण कुमार<br>➢ कृष्णकांत मंडल<br>➢ मुकुन्द पटेल |
| कार्यालय सहायक | ➢ हरीराम<br>➢ राजू यादव |

Content Office

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

www.dhyeyaias.com

# PERFECT 7

## साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

जनवरी ◉ 2021 | अंक ◉ 04

## विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–14
- कृषि कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण : एक अवलोकन
- नई व्हाट्सऐप नीति एवं गोपनीयता से जुड़े मुद्दे
- नि:शुल्क टीकाकरण का अधिकार : समय की माँग
- भारतीय उच्च शिक्षा में सुधार की आवश्यकता
- संघाई सहयोग संगठन एवं भारत
- बैड बैंक की अवधारणा : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ
- कृषि विविधीकरण : खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 15–21

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 22–23

7 महत्वपूर्ण खबरें 24–29

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 30

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 31

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

# 7 महत्वपूर्ण मुद्दे

## 01 कृषि कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण : एक अवलोकन

### चर्चा का कारण

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा तीन नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है साथ ही इन कानूनों से संबंधित विविध शिकायतों की जांच करने हेतु एक समिति का गठन किया है। यह समिति (चार सदस्यीय) सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी।

### परिचय

- भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सहित सभी संवैधानिक संस्थाओं का स्रोत संविधान है। यहां न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता है। तीनों संस्थाओं की अपनी सीमा और गरिमा है। संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया। अनुच्छेद-50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। संसद को विधि निर्माण और संविधान संशोधन के अधिकार हैं। न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का भी अधिकार है। संविधान की कोई भी संस्था स्वायत्त तो है किन्तु सबके काम करने की मर्यादा है, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर सर्वोच्च न्यायपीठ द्वारा तीन कृषि कानूनों को स्थगित करने का मसला विधि विशेषज्ञों के बीच बहस का विषय है।
- विधि विशेषज्ञों (Law Experts) का मानना है कि संसद द्वारा पारित कानूनों पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) को रोक नहीं लगाना चाहिए, जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि पहली नजर में यह असंवैधानिक और गैरकानूनी है।
- विधि विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक न्यायालय यह नहीं पाए कि अमुक कानून से मौलिक अधिकारों या संवैधानिक प्रावधानों का हनन होता है और उन्हें संसद की विधायी योग्यता के बगैर बनाया गया, तब तक उन पर रोक नहीं लगानी चाहिए। यह संभवतः पहली बार है जब शीर्ष अदालत ने संसद द्वारा पारित एक कानून पर रोक लगाई है, जिसमें इसकी संवैधानिकता की जांच करने के लिए एक भी सुनवाई नहीं हुई है।
- विधि विशेषज्ञों के अनुसार सरकार को पर्याप्त रूप से बिना सुने ही ऐसा किया गया। बड़ी संख्या में किसानों का प्रदर्शन करना, आधार नहीं हो सकता कि अदालत कानून पर रोक लगा दे। यह कानून निर्माताओं के विवेक पर निर्भर करता है और यह अदालत के दायरे के बाहर का विषय है। अदालत यह नहीं कह सकती है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम कानून पर रोक लगा रहे हैं।

### उच्चतम न्यायालय की आधिकारिता से जुड़े मुद्दे

- उच्चतम न्यायालय द्वारा कृषि कानूनों के अमल पर रोक व उसके बाद एक समिति का गठन करना मामले को और पेचीदा बना रहा है। किसान समूह खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने को लेकर खुश तो हैं किन्तु उसके द्वारा बनाए गए समिति के साथ जुड़ने से वे इनकार कर रहे हैं। उनका मानना है कि याचिकाकर्ता ने न्यायालय से समिति बनाने की मांग भी नहीं की थी।
- कृषि राज्य सूची का विषय है और केंद्र सरकार ने इन कानूनों को बनाकर राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन किया है। ऐसे में शीर्ष अदालत इन कानूनों को इस आधार पर निरस्त कर सकती थी, किन्तु शीर्ष अदालत ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। कुल मिलाकर शीर्ष अदालत ने संघवाद की अवधारणा के लिए

संभावित चुनौती संबंधी मामले पर सुनवाई करने के बजाय राजनीतिक क्षेत्र में दखल देते हुए अपनी सीमाओं को और बढ़ा दिया है।

- पिछले कुछ सालों में चुनावी बांड, आधार, एस.सी. एस.टी. संरक्षण कानून और नागरिकता कानून जैसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को सही ठहराने के लिए मराठा आरक्षण कानून में दिए गए आदेश का जिक्र जरूर किया है। लेकिन उस कानून से सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी जजमैंट का उल्लंघन होता था, जिसे 9 जजों की बैंच ने दिया था। इन सब बातों से परे, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से यह जाहिर है कि संसद द्वारा हड़बड़ी में पारित किए गए कृषि कानून, प्राथमिक तौर पर संविधान की कसौटी पर खरे नहीं उतरते।
- सुप्रीम कोर्ट के नियम और पुराने बड़े फैसलों से स्पष्ट है कि कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई सामान्यत: पांच या ज्यादा जजों की संविधान पीठ द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के मामले में 5 तो निजता मामले की सुनवाई के लिए 9 जजों की पीठ का गठन हुआ तो फिर इस मामले में भी अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान पीठ का गठन करना चाहिए था।
- स्वामीनाथन आयोग ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में कहा था कि व्यापक सुधारों के लिए कृषि को संविधान की समवर्ती सूची में लाना चाहिए। सरकार का दावा था कि स्वामीनाथन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को लागू कर दिया गया है। लेकिन संविधान के अनुसार तो कृषि अभी भी राज्यों का विषय है।

## समिति बनाने का औचित्य

- अदालती मामलों में दो पक्षों के बीच मध्यस्थता से मामले के निपटारे के लिए प्रक्रिया और कानून बने हुए हैं, जिनमें सुलहनामा को न्यायिक आदेश से मान्यता मिल जाती है। इस मामले में तो सरकार और किसानों के बीच पहले से ही सीधी बात हो रही थी तो फिर इस एकतरफा समिति को बनाने का क्या औचित्य है? सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख दायर अनेक याचिकाओं में भी समिति बनाने की कोई मांग नहीं थी। समिति में सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज भी नहीं है। कानून के अनुसार इस समिति की रिपोर्ट की कोई भी वैधता नहीं है और यदि विरोध करने वाले किसान संघ, चार सदस्यीय समिति के सामने नहीं गए तो फिर समिति की रिपोर्ट की कोई वैधता नहीं रहेगी।

## न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति

- सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्त्वपूर्ण शक्ति संभवतया न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जाँच सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो, तो न्यायालय उसे गैर-संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन भारत में संविधान लिखित है और इसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में "न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग न होने पर यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।
- इसके अलावा संघीय संबंधों के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसा करके वह किसी भी कानून को संविधान में निहित शक्ति के बँटवारे की योजना के विरुद्ध होने से रोकता है। मान लीजिए कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए और कुछ राज्यों को ऐसा लगे कि इस कानून का विषय तो राज्य सूची में है। तब वे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और यदि न्यायालय उनसे सहमत हो, तो वह-उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
- इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या संविधान में शक्ति-विभाजन योजना के प्रतिकूल हो। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर भी लागू होती है।
- लेकिन कृषि कानून प्रथम दृष्टया में भी असंवैधानिक नहीं पाए गए हैं। इस प्रकार इसमें ऐसे कोई तथ्य संकलित नहीं किए गए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि कानून का प्रवर्तन रोकना दूसरी संस्था के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण है।

## आगे की राह

- कोई विधि न्याय विरुद्ध या शासन के मूल सिद्धांतों के विपरीत हो सकती है, लेकिन संसद के विवेक का नियंत्रण नहीं हो सकता। अगर वह भूल करती है तो उन भूलों का सुधार भी स्वयं करती है। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि संविधान की सभी संस्थाओं को अपनी-अपनी मर्यादा में उत्कृष्ट काम करना चाहिए। कानूनों का निरसन, स्थगन असंवैधानिकता के आधार पर ही होता है, लेकिन यहां न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का पालन नहीं दिखाई पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि संविधान में शक्ति का स्पष्ट पृथक्करण है। अत: राज्य के सभी अंगों को अपनी सीमा में रहना चाहिए। इस सीमा का अतिक्रमण संविधान की योजना के विपरीत है।

**सामान्य अध्ययन पेपर-2**

**Topic:**

- भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।
- विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।

**प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि से जुड़े तीन अहम कानूनों के अमल पर रोक लगाकर अन्य संवैधानिक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।**

# 02 नई व्हाट्सऐप नीति एवं गोपनीयता से जुड़े मुद्दे

## चर्चा का कारण

- हाल ही में इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप (Whatsapp) की नई प्राइवेसी पॉलिसी के विवाद को बढ़ता देख फेसबुक के स्वामित्व वाली व्हाट्ऐप कंपनी ने इसे अभी टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि एकतरफा बदलाव अनुचित और अस्वीकार्य है क्योंकि व्हाट्सऐप की सेवा शर्तों एवं गोपनीयता नीति में प्रस्तावित बदलावों में इसके उपयोगकर्ताओं को इससे बाहर रहने का विकल्प नहीं दिया गया है।
- गौरतलब है कि साल के पहले हफ्ते में सोशल मीडिया कंपनी व्हॉट्सएप ने प्रयोगकर्ताओं को 'इन-ऐप' अधिसूचना के जरिये इन बदलावों की सूचना दी जिसके अनुसार उसके मंच का इस्तेमाल जारी रखने के लिए प्रयोगकर्ताओं को नयी शर्तों का पालन करना होगा। हालाँकि व्हाट्सऐप की गोपनीयता नीति में हुए इस परिवर्तन ने भारत में एक मजबूत डेटा सुरक्षा कानून की आवश्यकता को भी पुनः रेखांकित किया है।

## व्हाट्सऐप की नयी प्राइवेसी पॉलिसी

- फेसबुक ने साल 2014 में 19 अरब डॉलर में व्हाट्सएप को खरीदा था और सितंबर, 2016 से ही व्हाट्सऐप अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करता आ रहा है।
- व्हाट्सऐप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी में फेसबुक और इससे जुड़ी कंपनी इंस्टाग्राम (Instagaram) के साथ अपने यूजर्स का डेटा शेयर करने की बात का साफ तौर पर जिक्र किया है।
- व्हाट्सऐप अपने यूजर्स का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस (आईपी एड्रेस) फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य थर्ड पार्टी को दे सकता है।
- व्हाट्सऐप अब आपकी डिवाइस से बैट्री लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउजर से जुड़ी जानकारियाँ, भाषा, टाइम जोन फोन नंबर, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसी जानकारियाँ भी इकट्ठा करेगा। इन सबका जिक्र पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में नहीं था।

- अगर आप अपने मोबाइल से सिर्फ व्हाट्सऐप डिलीट करते हैं और 'माई अकाउंट' सेक्शन में जाकर 'इन-ऐप डिलीट' का विकल्प नहीं चुनते हैं तो आपका पूरा डेटा व्हाट्सऐप के पास रह जाएगा। यानी फोन से सिर्फ व्हाट्सऐप डिलीट करना काफी नहीं होगा।
- नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सऐप ने साफ कहा है कि चूँकि उसका मुख्यालय और डेटा सेंटर अमेरिका में है, इसलिए जरूरत पड़ने पर यूजर्स की निजी जानकारियों को वहाँ ट्रांसफर किया जा सकता है और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जिन भी देशों में व्हाट्सऐप और फेसबुक के दफ्तर हैं, लोगों का डेटा वहाँ भेजा जा सकता है।
- नई पॉलिसी के मुताबिक भले ही आप व्हाट्सऐप का 'लोकेशन' फीचर इस्तेमाल न करें, आपके आईपी एड्रेस, फोन नंबर, देश और शहर जैसी जानकारियाँ व्हाट्सऐप के पास होंगी।
- अगर आप व्हाट्सऐप का बिजनेस एकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जानकारी फेसबुक समेत उस बिजनेस से जुड़े कई अन्य पक्षों तक पहुँच सकती है।
- व्हाट्सऐप ने भारत में पेमेंट सेवा शुरू कर दी है और ऐसे में अगर आप इसका पेमेंट फीचर इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सऐप आपकी कुछ और निजी डेटा इकट्ठा करेगा जैसे- आपका पेमेंट अकाउंट और ट्रांजेक्शन से जुड़ी जानकारियाँ, इत्यादि।

## व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी से भारतीय कानूनों का उल्लंघन

- भारत में न ही साइबर सुरक्षा से जुड़ा कोई मजबूत कानून है, न ही पर्सनल डेटा प्रोक्टेशन से जुड़ा और न ही प्राइवेसी से जुड़ा। भारत में एकमात्र एक कानून है जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सुरक्षा पर कुछ हद तक नजर रखता है वो है- प्रोद्यौगिकी सूचना कानून (आईटी ऐक्ट), 2000।
- दुर्भाग्य से भारत का आईटी ऐक्ट (सेक्शन 79) भी व्हाट्सऐप जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए काफी लचीला है।
- व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आईटी ऐक्ट का उल्लंघन है खासकर इसके दो प्रावधानों का-
  - इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी इंटमिडिएरी गाइडलाइंस रूल्स, 2011
  - इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी रीजनेबल सिक्योरिटी पैक्टिसेज ऐंड प्रोसीजर्स ऐंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा ऑफ इन्फॉर्मेशन रूल्स, 2011
- भारत के आईटी ऐक्ट की धारा-1 और धारा-75 के अनुसार अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर भारत के बाहर स्थित है लेकिन

उसकी सेवाएँ भारत में कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध हैं तो वो भारतीय आईटी ऐक्ट के अधीन भी हो जाएगा।

- अर्थात व्हाट्सऐप भारत के आईटी ऐक्ट के दायरे में आता है। व्हाट्सऐप भारतीय आईटी ऐक्ट के अनुसार 'इंटरमीडिएरी (माध्यम)' की परिभाषा के दायरे में भी आता है।
- आईटी एक्ट की धारा-2 में इंटरमीडिएरीज को मोटे-मोटे तौर पर परिभाषित किया गया है, जिसमें दूसरों का निजी डेटा एक्सेस करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स शामिल हैं।
- आईटी ऐक्ट के सेक्शन-79 के अनुसार इंटरमीडिएरीज को यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल करते हुए पूरी सावधानी बरतनी होगी और डेटा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उसी की होगी।
- अगर व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों को देखें तो ये कहीं से भी आईटी एक्ट के प्रावधानों पर खरी नहीं उतरतीं।

## चिंताएं

- यह भारतीय नागरिकों की स्वायत्तता और उनकी पसंद के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। साथ ही साथ ही व्हाट्सऐप को प्रस्तावित बदलावों को वापस लेने तथा सूचना की गोपनीयता, पसंद की स्वतंत्रता व डेटा सुरक्षा पर पुन: विचार करने को कहा गया है।
- लोगों की निजी जानकारियों और डेटा के खतरे में पड़ने से न सिर्फ उनकी जिंदगी पर असर पड़ेगा बल्कि ये सरकार और लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है।
- सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की बेंच ने साल 2017 में के.एस.पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ मामले में कहा था निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 यानी जीवन के अधिकार से जोड़ा था।
- 2019 में इजरायली कंपनी पेगासस ने कैसे व्हाट्सऐप के जरिए हजारों भारतीयों की जासूसी की थी, ये सबके सामने है। साल 2016 के अमेरिकी चुनावों में फेसबुक का कैंब्रिज एनालिटिका स्कैंडल भी किसी से छिपा नहीं है।
- हाल के कुछ दिनों में भारत में भी फेसबुक की भूमिका पर सवाल उठे हैं। ऐसे में जब व्हाट्सऐप फेसबुक के अधीन है और यह सार्वजनिक तौर पर फेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों से यूजर्स का डेटा शेयर करने की बात कह रहा है तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

## व्हाट्सऐप का तर्क

- इन सारी चिंताओं के बावजूद व्हाट्सऐप का कहना है कि उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अपने परिवार या दोस्तों से कैसे बात करते हैं।
- उनके अनुसार नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद कारोबारियों के लिए अपने ग्राहकों तक पहुँचना और उनसे बातचीत करना आसान हो जाएगा।
- व्हाट्सऐप के अनुसार प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करने से फेसबुक के साथ यूजर्स का डेटा शेयर करने के तरीकों में कोई बदलाव नहीं होगा।

## आगे की राह

- किसी भी व्यवसाय के लिए उपभोक्ता के विश्वास की आवश्यकता होती है और यह न केवल करना सही है, बल्कि व्यवसाय के भविष्य के लिए भी अच्छा है। अत: इस संदर्भ में एक मजबूत कानून का निर्माण बहुत ही आवश्यक है जो उपभोक्ताओं को सुरक्षा की गारंटी प्रदान कर सके।
- नियामक निकायों को भी ग्राहकों का मार्गदर्शन करने के लिए कदम बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि उपभोक्ताओं के पास गोपनीयता नीतियों को समझने का समय या ज्ञान नहीं है तो उनसे अपेक्षा करना भी अनुचित होगा।
- इसके अलावा जैसे खाद्य नियामक के खाद्य सुरक्षा प्रमाणपत्र और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) की रेटिंग गाइड हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गए हैं वैसे ही ऐप्स के लिए गोपनीयता रेटिंग से व्यक्तियों को अपने डेटा के बारे में अधिक सूचित विकल्प बनाने में मदद मिल सकती है। एक प्रयोगों के अनुसार, उपयोगकर्ताओं ने उन ऐप्स के साथ अधिक डेटा साझा किया जिनकी गोपनीयता रेटिंग अधिक थी।
- सरकार और उद्योग संघ, अभिनव जागरूकता अभियान चलाकर, एक सक्षम भूमिका निभा सकते हैं।
- व्यवसायों को उपयोगकर्ता के डेटा के सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए और केवल लाभ को अधिकतम करने की तुलना में उपयोगकर्ता के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए।
- प्रत्येक भारतीय को शिक्षित और सशक्त बनाकर उसे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाना चाहिए, जिससे हर भारतीय के लिए एक सार्थक डिजिटल जीवन का निर्माण हो सके और तभी डिजिटल इंडिया की वास्तविक क्षमता का एहसास हो सकेगा।

**सामान्य अध्ययन पेपर-2**

**Topic:**

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

**प्र. व्हाट्सऐप द्वारा नई गोपनीयता नीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करें, साथ ही बताएँ कि क्या भारत में डेटा सुरक्षा कानून की अनिवार्यता जरूरी है?**

# 03 निःशुल्क टीकाकरण का अधिकार : समय की माँग

## चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत में इतिहास का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इस टीकाकरण अभियान में मुफ्त में COVID-19 वैक्सीन पूरे देश में प्राथमिकता वाले लाभार्थियों (prioritised beneficiaries) को दी जा रही है। प्राथमिकता वाले लाभार्थियों में तीन करोड़ हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत जैसे देश में, केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी भारतीयों के लिए COVID-19 वैक्सीन निःशुल्क हो।

## प्रमुख बिन्दु

- दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल जैसे राज्यों ने सभी के लिए मुफ्त टीके लगाने का आश्वासन दिया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई दी गयी है कि टीकाकरण सभी भारतीयों के लिए निःशुल्क होगा।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस, नॉर्वे और बहरीन जैसे देशों ने अपने सभी नागरिकों के लिए मुफ्त टीके लगाने का वादा किया है। मई 2020 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष सिरिल रामफोसा और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान सहित लगभग 140 वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों ने एक खुला पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें दुनिया भर की सरकारों से आग्रह किया गया था कि कोविड-19 का टीकाकरण मुफ्त में होना चाहिए।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी माना कि वैक्सीन राष्ट्रवाद और जमाखोरी कोरोना वायरस के खतरे को और बढ़ा देगी। वैश्विक देशों को वैक्सीन की पहुंच सभी लोगों तक बनानी होगी, जिससे इस महामारी को जल्द से जल्द रोका जा सके।

## निःशुल्क वैक्सीन की आवश्यकता क्यों?

- यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्ययन से पता चला है कि COVID-19 के कारण हुई मृत्यु का आनुपातिक रूप से गरीबी से संबंध है। इन्ही अध्ययनों से सबक लेकर केरल सरकार ने COVID-19 के उपचार में तत्परता दिखाई जिससे इस राज्य में मृत्यु दर को कम से कम किया गया। इस तरह बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए मुफ्त टीकाकरण और मुफ्त उपचार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए आवश्यक है।
- गाँव कनेक्शन (Gaon Connection) के एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण भारत में सबसे बड़ी चिंता यह थी कि क्या टीका मुफ्त में उपलब्ध होगा? इसके अतिरिक्त 36 प्रतिशत लोगों ने माना कि अगर टीका मुफ्त में उपलब्ध नहीं हुआ तो वे या तो टीकाकरण में हिस्सा नहीं लेंगे या फिर टीकाकरण के लिए पैसे नहीं देंगें।
- वैक्सीन हिचकिचाहट (Vaccine hesitancy) को वर्ष 2019 में डब्ल्यूएचओ (WHO) द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य के लिए शीर्ष दस खतरों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया है। इस झिझक से निपटने के लिए टीकाकरण की सामर्थ्य पहुँच को बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि आम लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार को सुरक्षित किया जा सके।
- एक कल्याणकारी राज्य में यह सुनिश्चित करना राज्य का ही दायित्व होता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया जाए और उनकी निरंतरता को सुनिश्चित किया जाए। यह भी सत्य है कि जीवन का अधिकार, जो सबसे कीमती मानव अधिकार है और जो अन्य सभी अधिकारों की संभावना को जन्म देता है, उसकी व्याख्या एक व्यापक और विस्तृत प्रकार से की जानी चाहिए और उच्चतम/उच्च न्यायालय द्वारा अपने तमाम निर्णयों में ऐसा किया भी गया है।

## स्वास्थ्य का अधिकार

- यदि हम संविधान की बात करें तो यह सत्य है कि इसके अंतर्गत कहीं विशेष रूप से स्वास्थ्य के अधिकार (Right to Health) को एक मौलिक अधिकार के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है, परंतु उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या करते हुए इसके अंतर्गत स्वास्थ्य के अधिकार (Right to Health) को एक मौलिक अधिकार माना गया है।
- सर्वप्रथम विन्सेंट पनिकुर्लान्गारा बनाम भारत संघ एवं अन्य 1987 AIR 990 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 के भीतर तलाशने का एक महवपूर्ण कदम उठाया था और यह देखा था कि इसे सुनिश्चित करना राज्य की एक जिम्मेदारी है। इसके लिए, अदालत द्वारा इस मामले में बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 का जिक्र भी किया गया था। पंजाब राज्य बनाम मोहिंदर सिंह चावला 1997 के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा यह साफ किया जा चुका है कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार का एक संवैधानिक दायित्व है।
- सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 रोगियों के समुचित उपचार से संबंधित मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा था कि राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे तय करें कि निजी अस्पतालों में उच्च लागत के कारण कोई भी व्यक्ति उपचार से वंचित न हो पाये।

## राज्यों की जिम्मेदारी

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के राज्य के कर्तव्य के विषय में बात करता है। इसके अतिरिक्त देखा जाये तो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य 1996 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह साफ किया गया था कि इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। इस उद्देश्य के लिए जो भी आवश्यक है उसे किया जाना चाहिए।
- अदालत ने इस मामले में यह साफ किया था कि एक गरीब व्यक्ति को मुफ्त स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के संवैधानिक दायित्व के संदर्भ में, वित्तीय बाधाओं के कारण राज्य उस संबंध में अपने संवैधानिक दायित्व से बच नहीं सकता है। चिकित्सा सेवाओं के लिए धन के आवंटन के मामले में राज्य की संवैधानिक बाध्यता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा अंगीकार की। भारत ने भी इसे अंगीकार किया है। यह घोषणा सभी मनुष्यों की मौलिक गरिमा और समानता पर जोर देती है।

## आगे की राह

- यह राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य अपने प्राथमिक कर्तव्य के रूप में अपने नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को खोलकर इस दायित्व का निर्वाह करती भी है, लेकिन इसे सार्थक बनाने के लिए, यह जरुरी है यह अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र लोगों की पहुँच के भीतर भी होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो, अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रतीक्षा सूची की कतार को कम किया जाना चाहिए और यह भी राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सर्वोत्तम प्रतिभाओं को इन अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त करे और प्रभावी योगदान देने के लिए अपने प्रशासन को तैयार करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करे।
- विश्लेषकों का मानना है कि मुफ्त में वैक्सीन प्रदान करना आवश्यक है क्योंकि वैक्सीन लेना एक व्यक्तिगत विकल्प है या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मुफ्त वैक्सीन देश की जनता की समग्र सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
- दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक, कोविड-19 का टीकाकरण करना एक कठिन चुनौती है, ऐसे में सरकार को प्रशासनिक, सामाजिक और वित्तीय क्षेत्रों के बीच सामंजस्य बनाना होगा । इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों द्वारा मुफ्त वैक्सीन के वादों के पीछे मंशा प्रशंसनीय है और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों के अनुरूप है।
- एक स्वस्थ समाज एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन प्रदान करने से नागरिकों के साथ साथ राज्य के लिए भी फायदेमंद साबित होगा।

**सामान्य अध्ययन पेपर-2**

**Topic:**

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

**प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि नि: शुल्क वैक्सीन के अधिकार को अनुच्छेद 21 के भीतर शामिल किया जाना चाहिए? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये।**

# 04 भारतीय उच्च शिक्षा में सुधार की आवश्यकता

## चर्चा का कारण

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तमाम प्रस्तावों में से जिस पहलू की सबसे कम चर्चा हुई है, वो है उच्च शिक्षा। भारत को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 'वैश्विक स्टडी डेस्टिनेशन' तभी बनाया जा सकता है,जब भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से विकसित हो जाए । हालांकि नई शिक्षा नीति में भारत के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी रोडमैप का प्रस्ताव तो रखा गया है, जिसके तहत वर्ष 2030 तक देश की उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण होना है।

## परिचय

- उच्च शिक्षा में ऐसी गुणवत्ता होनी चाहिए कि जो माध्यमिक शिक्षा के बाद कौशल से व्युक्त हों और जिनका ज्ञान आधार व्यापक हो। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा को कई प्रकार की दक्षता हासिल होनी चाहिए ताकि वो जटिल तथा परस्पर-आश्रित दुनिया में अपने कदम जमा सके। उच्च शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण करना केंद्र सरकार का संवैधानिक दायित्व है।
- भारत में, यूजीसी (University Grants Commission -UGC)) उच्च शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नियामक संस्था है। हालांकि केन्द्र ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक लाने का प्रस्ताव किया है, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का निरसन किया जाएगा। सरकार की अनेक समितियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्थान पर नए विनियामक की स्थापना की सिफारिश की है।
- पिछले वर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान प्राप्त नहीं हो सका। भारत की निम्न रैंकिंग में काबिज होने के कारणों में खराब शैक्षिक प्रदर्शन, छात्रों को प्राप्त होने वाली खराब रोजगार की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त होने वाले शैक्षिक पुरस्कारों का अभाव, व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रमों को मान्यता देने में खराब ट्रैक रिकॉर्ड और शोध एवं अनुसंधान के लिये धन का अभाव इत्यादि प्रमुख हैं।

## उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों?

- भारत की उच्च शिक्षा की व्यवस्था अपनी विशालता के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। फिर भी, देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों और 40 हजार से अधिक कॉलेज में से एक भी ऐसा नहीं है, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह बना सके। इसके अलावा, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के 132 देशों की ताजा सूची में भारत 72वें नंबर पर आता है। जाहिर है कि उच्च शिक्षा की इतनी खराब रैंकिंग का ही नतीजा है कि भारत न तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर पा रहा है और न ही काबिल छात्रों और विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि शिक्षा के क्षेत्र की अफसरशाही लंबे समय से पूरी व्यवस्था पर शिकंजा कस कर बैठी है, जिसके चलते उच्च शिक्षा के क्षेत्र में न तो इनोवेशन हो पा रहा है और न ही इस क्षेत्र का विस्तार हो सका है। उच्च शिक्षा में एनरोलमेंट में तेज गति से वृद्धि देखने को मिल रही है। इस समय पढ़ाई करने वाले 26 प्रतिशत छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा में भी दाखिला लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुमान है कि वर्ष 2035 तक स्कूल में दाखिला लेने वाले आधे छात्र हायर एजुकेशन के लिए भी आगे बढ़ेंगे।
- चूंकि भारत में हायर एजुकेशन सेक्टर का आकार स्वयं में इतना विशाल है और फिर भविष्य में इसके और बढ़ने का आकलन किया जा रहा है तो, भारत के पास ऐसी संभावनाएँ हैं कि वो दुनिया के बड़े शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटी को अपने यहां कैम्पस स्थापित करने के लिए आकर्षित कर सके। विदेशी विश्वविद्यालय अपने साथ पूंजी तो लाएंगे ही, वो आधुनिक शैक्षिक तकनीक, इनोवेशन के विचार और संस्थागत आदान-प्रदान जैसे गुण भी अपने साथ लाएंगे, जिसका भारत में इस समय भारी अभाव दिखता है। विदेशी विश्वविद्यालयों की उपस्थिति मात्र से ही भारत के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी।
- भारतीय विश्वविद्यालय भी इनोवेशन के प्रयास करना शुरू करेंगे। चूंकि, देश में अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थानों की कमी है। इसलिए, भारत के काबिल छात्र अकसर पढ़ने के लिए विदेश चले जाते हैं। जहां से वो ऊंची डिग्रियां हासिल करते हैं। अकेले वर्ष 2019 में ही, भारत के 7 लाख 50 हजार छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। हर साल भारतीय छात्र औसतन विदेशों में पढ़ाई करने और डिग्रियां हासिल करने के लिए 15 अरब डॉलर की रकम खर्च करते हैं। इसीलिए, जब विदेश के बड़े विश्वविद्यालय भारत में अपने कैम्पस खोलेंगे, तो विदेश पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों का एक बड़ा तबका, अपने देश में ही रहकर उन यूनिवर्सिटी की डिग्रियां, विदेश की तुलना में बहुत कम पैसे खर्च करके हासिल कर सकेगा।

## भारतीय उच्च शिक्षा की वर्तमान चुनौतियां

- उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई सराहनीय कदम भी उठाए है, लेकिन दूरदर्शिता के अभाव में स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रही हैं। योजनाएं बनाना और उनका पालन करवाना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और सरकार का काम है, परन्तु सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करने में विफल रही है। हमारे शिक्षण संस्थानों के सामने भी कई तरह की सामरिक और सामाजिक चुनौतियां हैं। विश्व के श्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में भारत न केवल विकसित राष्ट्रों से काफी पीछे है, बल्कि कई विकासशील राष्ट्र भी इस दृष्टि से भारत से आगे हैं।
- भारत के पास जनसंख्या के अनुपात में उच्च शिक्षण संस्थानों की काफी कमी है और साथ ही इनमें शिक्षकों एवं आधारभूत सुविधाओं

का नितांत अभाव है। इसलिए आज भी यह सकल नामांकन अनुपात के अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है। एक तरफ कक्षा में क्षमता से अधिक संख्या, प्रयोगशालाओं की कमी, लगभग सभी प्रमुख संस्थानों में चालीस प्रतिशत शिक्षकों की कमी और ऊपर से रोज-रोज बढ़ते राजनीतिक दबाव आदि।

- संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है लेकिन जहाँ तक गुणवत्ता की बात है, दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्व विद्यालय नहीं है।
- देश के अधिकांश प्रदेशों की राज्य सरकारों की उच्च शिक्षा में कोई खास रुचि नहीं है और वे इसका वित्तीय भार नहीं उठाना चाह रही हैं। इसी कारण अनेक प्रदेशों में यूजीसी से स्वीकृत पदों को राज्य सरकार की सहमति नहीं मिली और वे समाप्त हो गए।
- सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों के पद भरे नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह अंशकालिक अध्यापकों, शोध-छात्रों या अतिथि अध्यापकों से काम चलाया जा रहा है। देश की बढ़ती जनसंख्या और उसमें युवा वर्ग के अनुपात को देखते हुए अगले 10-12 साल में उच्च शिक्षा पाने वाले युवाओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होगी जिनके लिए हमारे पास आवश्यक शैक्षणिक व्यवस्था और संसाधनों की स्पष्ट और सार्थक योजना नहीं है।
- कुछ अच्छे विश्वविद्यालय जैसे कि जेएनयू या दिल्ली विश्वविद्यालय निश्चित रुप से सफल हैं। क्योंकि कहां विविधता के महत्त्व को समझा गया है ताकि सृजनशीलता और नतीन प्रवर्तन पनप सके।
- बहुत से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के फैकल्टी संयोजन और छात्र निकाय में भारत की असाधारण विविधता झलकती है। इससे भी अच्छी बात तो यह है कि उनका एक बहुत ही अलग प्रकार का पाठ्यक्रम और पाठयचर्या है, जिससे उनके शैक्षणिक विकास में वृद्धि होती है। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए उच्च संसाधनों की कमी हमेशा से बनी रही है।
- एक तो समूचे देश के अंदर छात्र-शिक्षक अनुपात इतना असंतुलित है कि सोचकर ही स्थिति भयावह लगती है। भारतीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी का आलम ये है कि आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षकों की कमी है। अगर हम भारत के चुनिन्दा आईआईटी व विश्वविद्यालयों को छोड़ दे, जो अपनी योग्यताओं के कारण विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में इन संस्थानों के प्रतिभाशाली छात्र अपना देश छोड़ कर विदेशों में नौकरी के लिए जा रहे हैं।
- आज शोध का भारतीय संदर्भ जटिल होता जा रहा है और उसकी उपादेयता और गुणवत्ता को लेकर उच्च शिक्षा के लाभार्थियों में काफी असंतोष सा व्याप्त होता दिख रहा है। शोध कार्यों में दोहराव एक बड़ी समस्या बन गई है और अन्य कारणों से शोध में नकल और चोरी जैसा हीन काम भी होने लगा है। वैज्ञानिक शोधों पर सरकार अभी जितना खर्च कर रही है वह हमारी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है।
- अपनी शिक्षा प्रणाली की बदौलत ही अमेरिका ने सेमी-कंडक्टर, सूचना तकनीक और बायोटेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में इतनी तरक्की की है। इस सबके पीछे वहाँ के विश्वविद्यालयों में किए गए शोध कार्य का बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया भर में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुए शोध में से एक तिहाई अमेरिका में होते हैं। इसके ठीक विपरीत भारत से सिर्फ तीन फीसदी शोध पत्र ही प्रकाशित हो पाते हैं।
- भारत में भी शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए कई जतन किए जाते रहे हैं, लेकिन आज भी देश में हो रहे शोध की न केवल मात्र, बल्कि उसकी गुणवत्ता को लेकर हम अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़े हुए हैं।

## आगे की राह

- वर्तमान में न केवल विश्व स्तर पर अपितु एशियाई देशों में भी शिक्षा के मामले में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। हमारे देश में शिक्षा प्रणाली में निश्चित रूप से बदलाव की आवश्यकता है और यह बदलाव केवल आईआईटी, आईआईएम या विश्वविद्यालयों में ही नहीं अपितु ग्रामीण और पिछड़े जिलों में स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों में भी किया जाना चाहिए।
- शिक्षितों में बढ़ती हुई बेरोजगारी से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में रोजगार-योग्य कौशलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी देश के विकास हेतु कुशल जनशक्ति को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सर्व विदित है कि व्यावसायिक शिक्षा और कौशल से व्यक्तियों की उत्पादककता, नियोक्ताओं की लाभ अर्जकता और राष्ट्रीय विकास में वृद्धि होती है। असंगठित क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने और बच्चों में स्व-रोजगार कौशल उत्पन्न करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से कुशल जनशक्ति को विकसित करना ही व्यावसायिक शिक्षा का लक्ष्य है। अतः व्यावसायिक शिक्षा के विकास से अनौपचारिक क्षेत्र में कुशल जनशक्ति को लगाया जा सकेगा जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- सरकार को उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए अधिक धन राशि आवंटित करनी चाहिए ताकि हमारा देश तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करा सके और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी पहचान बना सके।

**सामान्य अध्ययन पेपर-2**

**Topic:**

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

**प्र. भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता पर बल दीजिए।**

# 05 संघाई सहयोग संगठन एवं भारत

## चर्चा का कारण

- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद का 19 वां शिखर सम्मेलन 30 नवंबर 2020 को वीडियो-कॉन्फ्रेंस प्रारूप में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। वर्ष 2017 में भारत के SCO का सदस्य बनने के बाद ये पहली बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। शंघाई सहयोग संगठन में व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि एससीओ पर चीन का दबदबा है और पाकिस्तान के रहते भारत की समस्याएं जस की तस रह जाएंगी क्योंकि यह दोनों देश भारत को एससीओ की सदस्यता से कोई फायदा नहीं होने देंगे। लिहाजा भारत को अपने संसाधन और कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल कहीं और करना चाहिए।

## शंघाई सहयोग संगठन

- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की उत्पत्ति वर्ष 2001 में तत्कालीन शंघाई-5 से हुई थी। शंघाई-5 समूह का अस्तित्व वर्ष 1996 आया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद चीन और चार अन्य देश, रूस, कजाखस्तिान, किर्गीजिस्तान और ताजिकिस्तान एक साथ आए थे। इन देशों के साथ चीन की सीमा सुनिश्चित नहीं थी। चीन ने पांच देशों का समूह इसीलिए बनाया था, जिससे कि इन देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा किया जा सके। जब इन देशों के बीच सीमा के विवाद सुलझा लिए गए, तो ये तय किया गया कि ये सभी पांच देश मिलकर शंघाई फाइव का गठन करें, जिससे कि आपस में राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। 15 जून, 2001 को इस समूह में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद, शंघाई फाइव का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया।

- इस प्रकार यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है। भारत, वर्ष 2005 में इस संगठन का पर्यवेक्षक बना था। साल 2017 में भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन में स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं।

## शंघाई सहयोग संगठन एवं भारत

- पिछले साल नवंबर में शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की अध्यक्षता के उज्बेकिस्तान के कार्यकाल के खत्म होने के बाद भारत इसका अध्यक्ष बना था। पिछले एक वर्ष के दौरान भारत ने कोविड-19 की भयंकर महामारी का असर अपनी जिम्मेदारियों पर नहीं पड़ने दिया है। इसके उलट भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने मुख्य तौर पर सहयोग के तीन विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया: स्टार्ट अप और इनोवेशन, विज्ञान एवं तकनीक और पारंपरिक औषधि विज्ञान।
- अपनी अध्यक्षता में भारत ने 24 नवंबर से 28 नवंबर के दौरान, शंघाई सहयोग संगठन के युवा वैज्ञानिकों के पहले कॉनक्लेव का वर्चुअल आयोजन किया था। इसमें 200 से ज्यादा युवा वैज्ञानिक शामिल हुए थे। ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन के देशों में दुनिया की कुल 7.5 अरब आबादी के 42 प्रतिशत लोग रहते हैं। इनमें से 80 करोड़ लोग युवा हैं। ऐसे में इन देशों के युवाओं के बीच बेहतर समझ और सहयोग इस क्षेत्र की शांति, विकास और समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है।
- आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप का इकोसिस्टम है और उसने स्टार्ट अप व इनोवेटर्स के विकास के लिए एक मजबूत और बहुआयामी व्यवस्था का निर्माण किया है। इसीलिए भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के देशों के बीच स्टार्ट ऐंड इनोवेशन के लिए विशेष कार्यकारी समूह बनाने का प्रस्ताव रखा है। स्टार्ट अप इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत के साथ ही भारत ने अपने 590 जिलों में 38 हजार से अधिक स्टार्ट अप को मान्यता दी है। इनके जरिए रोजगार के चार लाख से अधिक अवसरों का सृजन हुआ है।
- भारत ने SCO के स्वास्थ्य मंत्रियों की सालाना बैठक में पारंपरिक औषधि विज्ञान के क्षेत्र में

एक एक्सपर्ट ग्रुप की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया है, जिस तरह कोविड-19 की महामारी ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में दबोचा, उससे आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की सीमाएं अपने आप उजागर हो गई हैं। ऐसे हालातों में पारंपरिक औषधि विज्ञान ने कम लागत में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर लाखों लोगों की जान बचाने में बेहद अहम भूमिका निभाई है।

## भारत-पाकिस्तान एवं एससीओ

- शंघाई सहयोग संगठन के दोनों देश भारत-पाकिस्तान के संबंधों में और गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा कई मुद्दों पर बातचीत जो एससीओ के दायरे में पहले कामयाबी के साथ संपन्न हो जाया करती थी वो पूरी तरह बंद हो चुकी है। मसलन, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। इससे पहले सभी संबंधित सदस्य देश एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के ढांचे के तहत ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग किया करते थे लेकिन अब ऐसे मुद्दों पर अगर कहा जाए तो चर्चा कराने की परंपरा एक तरह से बंद नहीं तो अब आसान भी नहीं रह गई है। दरअसल, एससीओ नियमों के तहत भारत और पाकिस्तान के लिए यह जरूरी है कि वो आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई के लिए गुप्त डाटा एक दूसरे से साझा करें। लेकिन सैद्धान्तिक तौर पर जो बातें आवश्यक हैं उन्हें अमल में ला पाना बेहद कठिन है। वो भी तब जबकि कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब भारत और पाकिस्तान हर महीने नियमित तौर पर एक दूसरे पर गोलाबारी करते हैं।
- भारत हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेनिंग मुहैया कराती है और उन्हें भारतीय सैनिकों, पुलिस अधिकारियों, सरकारी दफ्तरों और सरकार के भरोसेमंद लोगों पर हमला कराने के लिए कश्मीर में घुसैपठ करवाने की कोशिश में जुटी रहती है। जबकि पाकिस्तान इसके जवाब में भारत पर आरोप लगाता रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां-रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराती है और उन्हें पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखने में मदद पहुंचाती है। ऐसे में दोनों देशों के बीच लगातार भरोसे की खाई और चौड़ी होती जा रही है।

## भारत-चीन के बीच तनाव

- एससीओ सदस्य देशों के बीच सीमा विवाद एक अहम मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ चीन के साथ भारत की सीमा को लेकर विवाद है तो दूसरी तरफ रूस और तजाकिस्तान के बीच सरहद को लेकर टकराव जारी है। सैद्धान्तिक तौर पर एससीओ के वजूद में आने के बावजूद इसके सदस्य देशों में सीमा को लेकर हमेशा टकराव की स्थिति बनी रही। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प होने के बाद भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने पूरी तरह से चीन के साथ अपने क्षेत्रीय संघर्ष के निपटारे को लेकर अपनी नीतियों में बदलाव कर लिया है। दशकों से भारत ने पहले क्षेत्रीय विवादों के निपटारे के लिए सामान्यीकरण और शांति के फॉर्मूले पर जोर दिया है। भारत का मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व कोरोना संक्रमण के बीच लोगों की उन्मादी अपेक्षाओं और राष्ट्रवाद की बढ़ती भावना के तहत यह मानता है कि बगैर विवादों को पहले हल किए संबंधों में सुधार की गुंजाइश नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त गलवान में हुई हिंसक झड़प को भूल कर एससीओ के तहत भारत और चीन के बीच वार्ता करना सबसे बड़ी चुनौती है।

## आगे की राह

- कोई भी संगठन सिर्फ अपने दम पर वजूद में नहीं रह सकता, संगठन सदस्यों से मिलकर बनता है और इसकी सफलता और नाकामी इस बात पर निर्भर करती है कि इन सदस्यों के लक्ष्य किस हद तक एक दूसरे से मेल खाते हैं और किस हद तक वो एक दूसरे के हित के लिए काम करते हैं और कैसे संगठन के सदस्यों के बीच सकारात्मक संवाद की रूपरेखा तय होती है।
- चूंकि भारत शांति, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शंघाई सहयोग संगठन को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मंच मानता है। संगठन में सक्रिय, सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाते हुए भारत शंघाई सहयोग संगठन के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की पहल न केवल कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों पर काबू पाने में संगठन के सदस्य देशों के लिए सहायक होगी, बल्कि संगठन को मजबूत करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता का भी संकेत देगी।

**सामान्य अध्ययन पेपर-2**

**Topic:**
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

**Topic:**
- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

**प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि शंघाई सहयोग संगठन का हाल सार्क की ही तरह अप्रासंगिक हो गया है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये।**

# 06 बैड बैंक की अवधारणा : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

## चर्चा का कारण

- कोरोना वायरस महामारी के बीच भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए 2020 एक कठिन साल रहा है। एक तरफ सरकार ने अपने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज में ऐसे कई उपायों का ऐलान किया जिससे छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्योगों को मौजूदा संकट से उबारा जा सके। दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपने स्तर पर लिक्विडिटी उपायों का ऐलान किया है। पिछले साल फरवरी से लेकर ये सभी उपाय करीब 12.7 लाख करोड़ रुपये रहे हालाँकि अब इन सबके बीच भारतीय बैंक पर फंसे हुए कर्ज अर्थात एनपीए का बोझ बढ़ता जा रहा है। संक्षेप में कहें तो महामारी के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में संकुंचन के कारण वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए या दबाव ग्रस्त परिसंपतियों में वृद्धि देखने को मिली है।
- इसी संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में बैड बैंक के निर्माण संबंधी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की गयी।

## बैड बैंक की अवधारणा

- बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नये बैंक को हस्तांतरित कर दिया जाता है।
- जब किसी बैंक की गैर निष्पादित संपत्ति (NPA) एक सीमा से अधिक हो जाती है तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैड बैंक का निर्माण किया जाता है जो कर्ज में फँसी बैंकों की राशि को एक निश्चित समय के लिए खरीद लेता है।
- इसके बाद गैर निष्पादित संपत्ति की समस्या से निपटने का कार्य भी इसी बैंक का होता है।
- गौरतलब है कि बैड बैंक की अवधारणा को सर्वप्रथम वर्ष 1988 में मेल्लोन बैंक (Mellon Bank) के पिट्सबर्ग मुख्यालय में प्रस्तुत किया गया था। इस तरह के कई बैंक

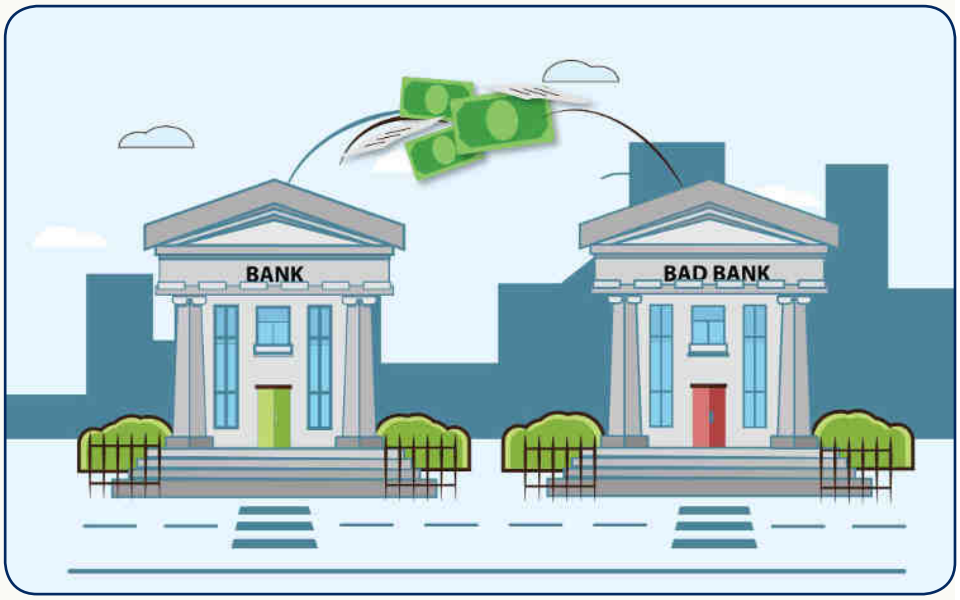


पहले से ही फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल जैसे कई देशों में काम कर रहे हैं।

## बैड बैंक की आवश्यकता क्यों?

- एनपीए की समस्या बैंकिंग क्षेत्र में लगातार बनी हुई है, विशेषकर कमजोर बैंकों के साथ, तो ऐसे में एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता है जो एनपीए के प्रबंधन में सहायक हो।
- पूर्व में, कई अन्य देशों ने वित्तीय प्रणाली में दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने के लिये अमेरिका के संस्थागत व्यवस्था राहत कार्यक्रम (TARP) जैसे संस्थागत तंत्र स्थापित किये थे।
- बैड बैंक की आवश्यकता तब अधिक महसूस की गई जब आरबीआई ने बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (AQR) शुरू की थी। इसमें आरबीआई ने पाया कि कई बैंकों ने बैलेंस शीट को अच्छी स्थिति में दिखाने के लिये दबावग्रस्त ऋणों को छिपाया था।
- कई प्रक्रियात्मक मुद्दों के कारण एआरसी (Asset Reconstruction companies-ARCs) दबावग्रस्त ऋण का समाधान करने में विशेष सफल नहीं हो सके।
- ऐसे में बैड बैंक का विचार काम कर सकता है क्योंकि बैंकों का मौजूदा एनपीए और प्रोविजंस बहुत ज्यादा है।
- प्रोविजन का अर्थ है कि बैंक मान के चल रहे हैं कि कोरोना वायरस व मंदी के कारण उनका ब्याज पर दिया पैसा या लोन एनपीए हो सकता है। इसलिए बैंक डिफॉल्टर्स का प्रोविजन भी अपने लाभ-हानि में गणना करके रखता है, इसलिए इस राशि को प्रोविजन कहा जाता है।
- आरबीआई ने अपनी हालिया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि बैंकिंग क्षेत्र का सकल एनपीए सितंबर 2020 में 7.5% से बढ़कर मार्च 2021 में 12.5 फीसदी और सितंबर 2021 तक 13.5% होने की संभावना है।
- ऐसे में एक बैड बैंक, सिस्टम में मौजूदा फंसे संपत्तियों को वापस लाने के लिए एग्रीगेटर का काम कर सकता है क्योंकि बैड बैंक के होने की वजह से बैंक अपने काम पर सामान्य रूप से फोकस कर पाते हैं।

## एनपीए की समस्या बरकरार

- जब बैंकों द्वारा दिया गया कर्ज डूब गया हो और उसके वापस आने की कोई उम्मीद न हो तो इस तरह के कर्ज को गैर-निष्पादित संपत्ति की श्रेणी में रखा जाता है। इसे अंग्रेजी में नॉन परफार्मिंग असेट यानी एनपीए कहा जाता है। अमूमन बैंकों के लोन को तब

एनपीए में शामिल कर लिया जाता है, जब तय तिथि से 90 दिनों के अंदर उस पर बकाया ब्याज तथा मूलधन की किस्त नहीं चुकाई जाती।

- साल 2008 में अमरीका से शुरू हुई आर्थिक मंदी ने सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि भारत पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। लेकिन भारत इस मन्दी के प्रभाव से पूरी तरह अछूता नहीं था और भारतीय कंपनियों को भी इसका शिकार होना पड़ा था।
- मंदी के दौर से बाहर आने के बाद बैंकों ने बड़ी कंपनियों को कर्ज देने में उनकी वित्तीय स्थिति और क्रेडिट रेटिंग की अनदेखी की। यानी बैंकों ने अपने बड़े कॉर्पोरेट ग्राहकों को कर्ज देने से पहले उनके लोन वापस करने की क्षमता की पूरी छानबीन नहीं की, परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था एनपीए के जाल में फंसने लगी।

## एनपीए का प्रभाव

- एनपीए बढ़ने से बैंकों की लोन देने की क्षमता घट जाती है और नकदी का प्रवाह घट जाता है। आम लोगों को नए लोन न मिलने पर इसका बुरा असर होगा, साथ ही लोक कल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावित होंगी।
- इसका दूसरा असर लघु और मध्यम उद्योगों पर होगा। इन उद्योगों के समुचित परिचालन के लिए एक से पांच लाख रुपये तक की रकम के लोन की जरूरत होती है। लेकिन बैंकों की खराब हालत से उन्हें यह रकम मिलना भी मुश्किल हो जाएगी।
- गौरतलब है कि लघु उद्योग भारत में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरियाँ देते हैं। इन बैंकों से लघु उद्योगों को लोन नहीं मिलेगा तो वहाँ बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो जाएगी।
- एनपीए बढ़ता है तो बैंकों को ज्यादा कर्ज लेना होता है। इससे उनकी फंड जुटाने की लागत बढ़ती है जिसका बोझ ग्राहकों पर ऊंची ब्याज दरों के रूप में पड़ता है।
- एनपीए के रूप में जब बैंक का कर्ज फंस जाता है तो उसकी प्रोविजनिंग के लिए उसे मुनाफे से एक निश्चित राशि अलग रखनी होती है। यानी मुनाफे में कमी आती है, और मुनाफा कम होने पर बैंक के विस्तार और ग्राहक सेवाओं पर असर होता है।

## चुनौतियाँ

- महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में खरीदारों को खोजना एक बड़ी चुनौती होगी वो भी तब, जब वर्तमान सरकार खुद राजकोषीय घाटे का सामना कर रही है।
- एक बैड बैंक की स्थापना एक जटिल कार्य है। इसके साथ यह मान लेना गलत है कि यह भारत के बैंकिंग क्षेत्र की सारी समस्याएँ सुलझा देगा। सभी समस्याओं के लिए एक बैड बैंक बनाना एक प्रभाव रहित तथा महंगा कार्य होगा।
- बैंकों के लिए यह निश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बुरी परिसंपत्तियों को बैंक की बैलेंस शीट में रखा जाये या नहीं। बैलेंस शीट से बुरी परिसम्पत्तियो को अलग करना निवेशकों तथा प्रतिपक्ष के लिए अच्छा है। यह बैंको के संचालन में पारदर्शिता भी लाता है। लेकिन यह काफी जटिल तथा महंगा है।
- बैड बैंक की परिकल्पना के कुछ आलोचकों का ये भी मानना है कि बैड बैंक स्ट्रेस्ड लोनों को बैंक से दूसरी संस्था में स्थानांतरित करेगा। इसीलिये बुरे लोनो के पुनर्गठन पर ध्यान केन्द्रित करना भी बहुत जरुरी है।
- इसके अलावा एहतियात तथा साख के कारण बैंकर्स को बैड लोन की परिसंपत्तिया कम दर पर बेचने में भी दिक्कतें होंगी। इसीलिए बैड बैंक को परिसम्पत्ति खरीदने के लिए अधिक बजट की जरूरत होगी जो सरकार का वित्तीय भार बढ़ाएगा।
- शासनात्मक सुधारों के बिना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पूर्व की तरह ही व्यवसाय करते रहेंगे जिससे बैड ऋण फिर से जमा हो सकता है।
- कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बैंकों में पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसलिए अब बैड बैंक इसमें कुछ बेहतर नहीं करेंगे।
- इसके अलावा बैड बैंक NPA को कम करने की प्रतिबद्धता के बिना एक नैतिक खतरा पैदा कर सकता है और बैंकों द्वारा दिये जाने वाले उधार को भी जारी रख सकता है।

## आगे की राह

- बैड बैंक को एक समाधान बनाने हेतु सरकार तथा आरबीआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैड बैंक घोर पूंजीवादियो तथा भ्रष्ट बैंकर्स के लिए एक खैरात साबित न हो। इसके लिए एक बहुभागी तथा वृहद् समिति की आवश्यकता होगी।
- दबावग्रस्त परिसंपति के लिये एक निजी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (PAMC) का निर्माण कर सकते हैं जो ऋण माफी के मध्यम स्तर के साथ-साथ अल्पावधि में संपत्तियों के आर्थिक मूल्य का निर्धारण भी कर सके।
- हालाँकि महामारी से संबंधित आर्थिक संकटों का समाधान हो जाने के पश्चात् आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक व्यवस्था गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) का प्रबंधन करने के लिये पर्याप्त सक्षम हो सकती है।

**सामान्य अध्ययन पेपर-3**

**Topic:**

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

**प्र. बैड बैंक की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए बताएँ कि क्या इससे एनपीए की समस्या का समाधान किया जा सकता है?**

# 07 कृषि विविधीकरण : खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण

## चर्चा का कारण

- भारत में एक उत्तम कृषि-खाद्य नीति तैयार करना वर्तमान समय की आवश्यकता बन गयी है। अब फसल विविधिकरण नीति को न केवल अल्पावधि के मुद्दों पर देखना होगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में मध्यम से दीर्घकालिक चुनौतियों का भी समाधान करने का प्रयास करना होगा।

## परिचय

- पूर्व में भारतीय कृषि अनुपयुक्त रूप से एकल फसली पद्धति के पक्ष में थी। एकल फसली पद्धति में एक समय में एक प्रकार की फसल की कृषि के लिए भूमि का उपयोग होता है।
- एकल फसली पद्धति से संबंधित मुद्दे निम्नलिखित हैं-
  - फसल असंतुलन,
  - उत्पादकता में गिरावट,
  - निम्न उर्वरक प्रतिक्रिया अनुपात,
  - मृदा के स्वास्थ्य में गिरावट रोजगार
  - उपज की लाभप्रदता में कमी।
- इसलिए वर्तमान में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उच्च मूल्य वाली फसलों, बागवानी फसलों आदि में विविधता लायी जाये।
- इससे न केवल मृदा के स्वास्थ्य, उत्पादकता और कृषि के आर्थिक उत्पादन में सुधार होगा अपितु पोषण सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी।

## फसल विविधीकरण नीति

- कृषि विविधिकरण पद्धति: जो किसान लघु या सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं या जिनके पास एक से दो हेक्टेयर जमीन ही है। ऐसे किसानों पर आपदा की मार का असर अन्य किसानों की तुलना में अधिक होता है। छह-छह महीने के सीजन की फसलों के नष्ट हो जाने से किसानों के सामने आजीविका का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम (कृषि विविधीकरण पद्धति) तैयार कर उससे भूमिहीन किसानों को भी

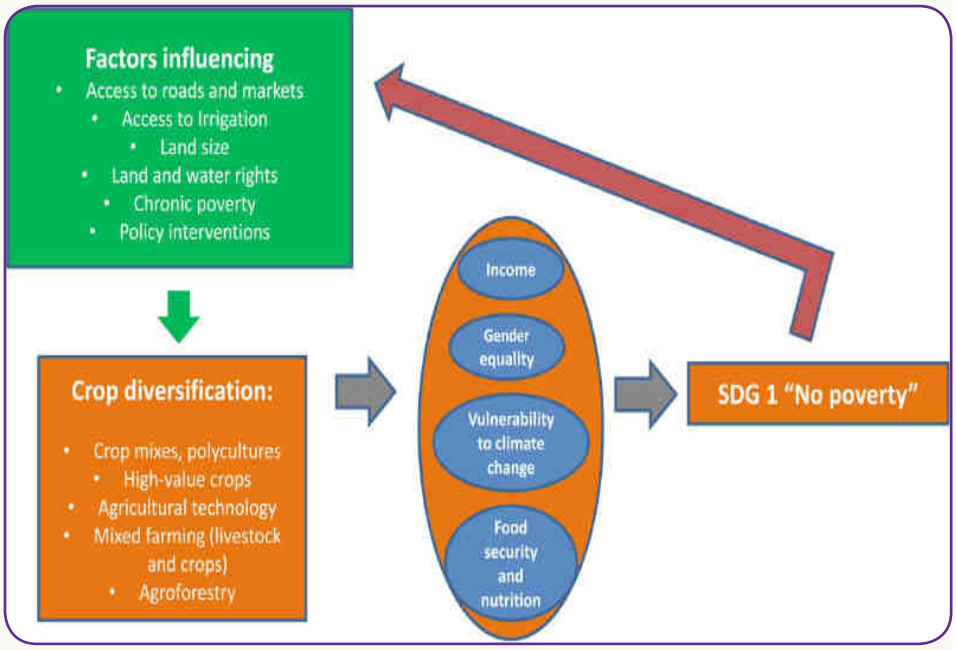


जोड़ा है। लघु व सीमांत श्रेणी के किसानों को मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन सहित सब्जी की खेती से जोड़कर उन्हें नियमित आमदनी के स्थायी स्त्रोत तैयार कराए गए हैं।

## कृषि विविधीकरण के लाभ

- भिन्न प्रकार की फसलों के लिए मृदा की अलग-अलग प्रकार की उर्वरता की आवश्यकता होती है। फसलों का समायोजन या फेर बदल से मृदाओं के सभी गुणधर्मों के एक फसल संकेंद्रण की अपेक्षा अधिक उपयोग होने की आशा की जाती है। उदाहरण के लिए, अनाज को बहुत अधिक नाइट्रेट, गोभी को अधिक सल्फेट, लौंग अधिक चूना और कंदवर्गीय फसलों को फास्फेट की भारी जरूरत होती है। यदि भिन्न-भिन्न फसलों की अनुक्रमिक उगाई होती है तो पहले की फसल द्वारा प्रयुक्त तत्त्वों को बहाल करना संभव हो जाएगा।
- फसलों की हेर-फेर से खरपतवार का न्यूनीकरण आसान होता है क्योंकि इससे भिन्न-भिन्न समय में सफाई होती है इस प्रकार वर्ष दर वर्ष यह खरपतवारों के पोषण और फैलाव को कम करती है।
- विविधीकरण से उसी खेत में वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना संभव होता है जबकि उसी फसल को दोबारा लगाना और बोना असंभव होता है। इससे पशुधन का पोषण भी आसान होता है (जो फसल/घास के अवशिष्टों को खाते हैं)। इसलिए यह किसानों को मांस, दूध, ऊन या ईंधन के रूप में आय का अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है।
- विविधीकरण से भिन्न-भिन्न फसल उगाने से पूरे वर्ष भर श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है।
- विविधीकरण से भिन्न-भिन्न फसल उगाने से पूरे वर्ष भर श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है।
- विविधीकरण किसानों और उनके परिवार के लिए अलग-अलग किस्म के खाद्यान्न का उपभोग भी संभव बनाता है।

## भारत की स्थिति

- उत्तम कृषि के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना बेहद जरूरी है। यह माना जाता है कि विकासशील देशों को अपने कृषि-सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम एक प्रतिशत, कृषि-आरएंडडी में निवेश करना चाहिए, जबकि भारत इसका लगभग आधा निवेश करता है।
- भारत में प्राकृतिक संसाधनों विशेष रूप से पानी और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आयी है, इसका कारण यह है कि अत्यधिक सब्सिडी वाले उर्वरक, विशेष रूप से यूरिया, भूजल स्तर और इसकी गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में।

- भारत में धान, गेहू और गन्ने का अत्यधिक उत्पादन हुआ है। भारत में चीनी और गेंहू का उत्पादन वैश्विक देशों की तुलना में अधिक कीमत पर किया जा रहा है, और जब तक इन फसलों पर भारी सब्सिडी नहीं दी जाती है तब तक इन फसलों का निर्यात नहीं किया जा सकता है।
- विडंबना यह है कि ये तीन ऐसी फसलें हैं जिनका एमएसपी से कोई महत्वपूर्ण सरोकार नहीं है, जबकि पोल्ट्री, मत्स्य, डेयरी और यहां तक कि बागवानी, जिसके लिए कोई एमएसपी नहीं है, अनाज या गन्ने की तुलना में तीन से पांच गुना तेजी से बढ़ रहे हैं।
- गौरतलब है कि 2018-19 में पशुधन और मत्स्य का मूल्य कृषि उत्पादन के सकल मूल्य का लगभग 40 प्रतिशत था। बागवानी में भी 21 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर कहा जाये तो धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और कपास के एमएसपी पर सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद का कुल मूल्य, कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र के मूल्य का मात्र 6 प्रतिशत था।
- चावल वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बना हुआ है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि चावल के निर्यात में हम सालाना लगभग 25-30 बिलियन क्यूबिक मीटर कीमती पानी का भारी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं, अर्थात धान उगाने में इतने पानी की खपत हो रही है।

## चुनौतियाँ

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुमान (2019) के अनुसार भारत 2027 तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है और 2030 तक, देश के शहरी क्षेत्रों में लगभग 600 मिलियन लोगों के रहने की संभावना है, जिन्हें सुरक्षित और पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत में अगले 10 वर्षों के लिए सबसे बड़ी चुनौती कुपोषण है, खासकर बच्चों में।

- यह एक बहुआयामी समस्या है। महिलाओं की शिक्षा, टीकाकरण और स्वच्छता से लेकर पौष्टिक भोजन तक, सभी को उपलब्ध्ब एक बड़ी चुनौती है।
- पीडीएस के माध्यम से भोजन का सार्वजनिक वितरण, जो चावल और गेहूं पर निर्भर करता है वह भी खरीद, स्टॉकिंग और वितरण की लागत पर 90 प्रतिशत से अधिक की सब्सिडी पर, बहुत अधिक मदद नहीं कर पा रहा है।
- इसके अलावा भारतीय कृषि का औसतन आकार 1.08 हेक्टेयर है, जो कि देश के कार्यबल का 42 प्रतिशत है। कृषि के लिए खेती योग्य भूमि और सीमित पानी पहले से ही गंभीर दबाव में हैं। इसलिए इन बुनियादी मापदंडों को देखते हुए, एक इष्टतम कृषि-खाद्य नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

## आगे की राह

- भारत को अपनी बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त भोजन, पोषण और फाइबर युक्त अनाज का उत्पादन करने पर जोर देना चाहिए।
- उत्पादन इस तरीके से होना चाहिए कि न केवल मिट्टी, पानी और हवा की गुणवत्ता बनी रहे बल्कि जैव विविधता की रक्षा भी की जा सके।
- खाद्य आपूर्ति शृंखलाओं के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है, ताकि उपभोक्ताओं तक सस्ता, ताजा एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके।
- चूँकि इन सबके केंद्र में किसान है, जिसकी आमदनी वर्ष 2022 तक दोगुना करने का सरकार का लक्ष्य है। ऐसे में देश और विदेश की बेहतरीन तकनीकों और बाजारों तक उनकी सुलभ पहुंच को बनाने की जरूरत है।

**सामान्य अध्ययन पेपर-3**

Topic:

- मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित मुद्दे और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।

**प्र. भारत में फसलों के विविधीकरण की आवश्यकता पर बल दीजिए।**

# 7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

## 01 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पाँच वर्ष

### 1. चर्चा का कारण

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के पांच साल पूरे हो गए हैं। सरकार ने इस योजना को 13 जनवरी, 2016 को लागू किया था।

### 4. किसान कल्याण मंत्रालय के कार्य

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने योजना के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय और राज्य कृषि विभागों के सहयोग से विभिन्न बीमा कंपनियों ने देश भर में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। विभिन्न गतिविधियों जैसे कि स्थानीय स्तर पर जागरूकता अन्य लोगों के बीच जनसंचार माध्यमों से व्यापक अभियान, जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए संचालित किए जा रहे हैं।
- सभी किसानों को अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान से सुरक्षा के रूप में फसल बीमा का लाभ उठाने के लिए पीएमएफबीवाई के तहत नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

### 2. प्रमुख बिन्दु

- 13 जनवरी, 2016 को लॉन्च होने के बाद से अब तक इस योजना के तहत किसानों के 90,000 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भी लगभग 70 लाख किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया और लाभार्थियों को 8741.30 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।
- देश भर में किसानों को सबसे कम समान प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए एक उल्लेखनीय पहल के रूप में इस योजना की परिकल्पना की गई थी।
- किसान के हिस्से के अतिरिक्त प्रीमियम का खर्च राज्यों और भारत सरकार द्वारा समान रूप से सहायता के रूप में दिया जाता है। हालांकि, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इस क्षेत्र में 90 प्रतिशत प्रीमियम सहायता साझा की है।

### 3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

- किसानों के लिए शुरू से अंत तक जोखिम को कम करने की व्यवस्था के रूप में, योजना में बुवाई से पूर्व चक्र से लेकर कटाई के बाद तक फसल के पूरे चक्र को शामिल किया गया है, जिसमें रोकी गई बुवाई और फसल के बीच में प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाला नुकसान भी शामिल है।
- बाढ़, बादल फटने और प्राकृतिक आग जैसे खतरों के कारण होने वाली स्थानीय आपदाओं और कटाई के बाद होने वाले व्यक्तिगत खेती के स्तर पर नुकसान को शामिल किया गया है।
- योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं में किसानों का आसानी से नाम लिखने के लिए पीएमएफबीवाई पोर्टल, फसल बीमा मोबाइल ऐप को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ना, फसल नुकसान का आकलन करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल शामिल है।
- यह योजना फसल बीमा ऐप, सीएससी केंद्र या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से किसी भी घटना के होने के 72 घंटों के भीतर किसान के लिए फसल नुकसान की रिपोर्ट करना आसान बनाती है।
- लगातार सुधार लाने के प्रयास के रूप में, इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया गया था, फरवरी 2020 में इसमें सुधार किया गया।
- PMFBY में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम को बहुत कम रखा गया है। इससे PMFBY तक हर किसान की पहुंच बनाने में मदद मिली है। PMFBY योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें हालांकि किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी या AIC) इस योजना को चलाती है।

# 02 इंडो-पैसिफिक पर अमेरिका की रिपोर्ट

## 1. चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिकी सरकार ने इंडो-पैसिफिक पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी 2018 की संवेदनशील रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। इस रिपोर्ट में अमेरिका की एशिया प्रशांत रणनीति की चर्चा की गयी है।

## 2. पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि साल 2018 की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने 10 पन्ने की एक रिपोर्ट तैयार की थी।
- रिपोर्ट में अमेरिका की वैश्विक रणनीति और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए कई पहलुओं का जिक्र है।
- साथ ही इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि चीन से मुकाबला करने के लिए देशों से गठजोड़ करने की जरूरत है जो उदार अर्थव्यवस्था वाले हैं और अमेरिका के साथ मिलकर काम करते हैं।

## 3. रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- इस रिपोर्ट में इंडो- पैसिफिक क्षेत्र के लिए खास रणनीति बनाने पर जोर दिया गया है।
- अमेरिका ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर जोर देने की बात कही थी।
- रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अमेरिका ने चीन की तुलना में भारत को हर तरह से मजबूत करने की रणनीति बनाई है। इसके पीछे अमेरिका का तर्क था कि कुछ अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ एक मजबूत भारत, चीन को सीमित दायरे में रखने में अहम भूमिका निभा सकता है।
- भारत-चीन के बीच सीमा विवाद तक को सुलझाने के लिए अमेरिका ने भारत को सैन्य मदद देने की भी इच्छा जताई थी।
- रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग पर खास ध्यान दिया गया है।
- भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों (एनएसजी) के समूह में सदस्य बनाने की भी बात कही गई है। ध्यावत है कि अमेरिका के मजबूत समर्थन के बावजूद चीन के विरोध की वजह से भारत अभी तक एनएसजी का सदस्य नहीं बन पाया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को मदद देने के पीछे अमेरिका का उद्देश्य एशिया में चीन के मुकाबले भारत को मजबूत बनाना है। जिससे शक्ति संतुलन बना रहे।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका, भारत के साथ सैन्य, खुफिया और राजनयिक समर्थन बढ़ाएगा साथ ही इसे एक 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा।

## 4. चीन की प्रतिक्रिया

- चीन का मानना है कि दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देश पर्याप्त समझदार और सतर्क हैं, उन्हें अमेरिका अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए हाईजैक नहीं कर सकता है।
- अमेरिका अपनी दुर्भावना के कारण चीन को इस क्षेत्र में खतरे के तौर पर पेश कर रहा है।

## 5. निष्कर्ष

- हालाँकि अभी भले अमेरिका और भारत में करीबी की बात कही जा रही है लेकिन ऐतिहासिक रूप से अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत सहज नहीं रहे हैं, दोनों देशों के संबंधों में पर्याप्त जटिलताएँ रही हैं।
- शीत युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका के साथ शामिल होने से इनकार कर दिया था। भारत तब गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल था।
- वर्तमान में भी भारत के लिए पूरी तरह से अमेरिका के साथ हो जाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि रूस के साथ भारत की ऐतिहासिक दोस्ती रही है। जिसका संबंध अमेरिका के साथ कुछ खास अच्छा नहीं है लेकिन चीन और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं।
- अमेरिकी नेतृत्व को चुनौती देने के लिए अभी चीन और रूस एक मंच पर खड़े हैं, ऐसे में रूस नहीं चाहता है कि चीन के खिलाफ भारत अमेरिका के खड़ा शामिल हो जाए।

# 03 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0

## 1. चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण (पीएमकेवीवाई 3.0) का शुभारंभ किया गया है।

## 2. प्रमुख बिन्दु

- गौरतलब है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने रोजगार आधारित कौशल (employable skills) के साथ भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है।
- इसमें 300 से अधिक पाठ्यक्रमों के साथ लगभग 600 केंद्रों में 'पीएमकेवीवाई 3.0' योजना की शुरूआत की गई है जो कि 717 जिलों, 28 राज्यों/आठ केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया पीएमकेवीवाई का तीसरा चरण 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने की तरफ एक और कदम है।
- इसके अलावा पीएमकेवीवाई 3.0 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिष्कृत ढंग से लागू किया जाएगा जिसके तहत राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) के मार्गदर्शन में जिला कौशल समितियां (डीएससी) जिला स्तर पर कौशल अंतर को दूर करने तथा आवश्यकताओं का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

## 3. पीएमकेवीवाई 3.0 का लक्ष्य

- इसका लक्ष्य जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण के लिए मांग-आधारित कार्यक्रम चलाना है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई 3.0 के दृष्टिकोण में कार्यक्रमों का विकेंद्रीकरण भी शामिल है।
- स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण को वैश्विक एवं स्थानीय दोनों स्तरों पर बदलती मांगों के अनुसार बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है।
- पीएमकेवीवाई 3.0 की शुरुआत के साथ ही नए युग और उद्योग 4.0 में नौकरी की भूमिका के क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देकर मांग एवं आपूर्ति के बीच की खाई को पाटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति समग्र विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है, इसलिए पीएमकेवीवाई 3.0 की भूमिका युवाओं को उद्योग से जुड़े अवसरों के लिए प्रारंभिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के प्रचारक के रूप में होगी।
- साथ ही पीएमकेवीवाई 3.0' योजना अधिक प्रशिक्षण पर केंद्रीकृत होगी और इसमें आकांक्षापूर्ण भारत की समस्त जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया जायेगा।

## 4. पीएमकेवीवाई 3.0 के लाभ

- पीएमकेवीवाई 3.0 के साथ, भारत कौशल विकास के एक नए प्रतिमान में प्रवेश करेगा जो आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास प्रदान करने, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा उद्योगों के 4.0 कौशल पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- सरकार के विकास प्रायोजित एजेंडे को 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कि, पीएमकेवीवाई का तीसरा चरण राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर बढ़ते हुए संपर्क को और मजबूत करके परिणाम प्राप्त करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

## 5. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी।
- इस योजना के अब तक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा तीन चरण लांच किए जा चुके हैं।
- इस योजना का उद्देश्य भारत की युवा आबादी को कौशलयुक्त करना है ताकि जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाया जा सके।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने वर्ष 2015 में मानक प्रशिक्षण आकलन एवं पारितोषिक (Standard Training Assessment and Reward-STAR) योजना का स्थान लिया था।

# 04 विशेष विवाह अधिनियम, 1954

## 1. चर्चा का कारण

- हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत शादी के लिए 30 दिन पहले नोटिस का अनिवार्य प्रकाशन कराना स्वतंत्रता और निजता के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन मानते हुए इसे वैकल्पिक करार दिया है।

## 2. उच्च न्यायालय का फैसला

- उच्च न्यायालय ने कहा कि अब भावी पक्षों के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 5 और 6 के तहत विवाह से 30 दिन पूर्व नोटिस जारी करना वैकल्पिक होगा, न कि अनिवार्य।
- उच्च न्यायालय ने कहा कि विवाह में शामिल दोनों पक्ष राज्य या गैर राज्य अभिकर्ताओं के हस्तक्षेप के बिना अपना जीवनसाथी चुन सकते हैं, जबकि उपरोक्त प्रावधानों से इसमें अड़चन आती हैं।
- इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि धर्मनिरपेक्ष कानून के बावजूद देश में अधिकांश विवाह धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार होते हैं। न्यायालय ने कहा कि जब धर्म संबंधी व्यक्तिगत कानूनों के तहत विवाह से संबंधित नोटिस जारी करने अथवा आपत्ति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है तो ऐसी आवश्यकता देश के धर्मनिरपेक्ष कानून में नहीं होनी चाहिए।
- न्यायालय ने विवाह अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि यदि दोनों पक्ष लिखित रूप में नोटिस के प्रकाशन हेतु अनुरोध नहीं करते हैं तो विवाह अधिकारी इस तरह के नोटिस को प्रकाशित नहीं करेगा अथवा विवाह को लेकर आपत्तियाँ दर्ज नहीं करेगा। हालाँकि यदि विवाह अधिकारी को कोई संदेह हो तो वह तथ्यों के अनुसार उपयुक्त विवरण/प्रमाणपत्र मांग कर सकता है।

## 3. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में समस्या क्या?

- जब एक ही धर्म के लोग शादी करते हैं तो उनकी शादी एक ही दिन में हो जाती है, लेकिन अगर अलग-अलग धर्म के लोग शादी करते हैं तो उसमें तीस दिन का समय लगता है। ऐसे में, इस प्रावधान को शादी के इच्छुक जोड़ों की निजता के अधिकार का उल्लंघन और भेदभावपूर्ण माना जा रहा है।
- साथ ही, जो जोड़ा शादी कर रहा होता है वो भावनात्मक रूप से और कई बार आर्थिक और परिवार की तरफ से भी संघर्ष कर रहा होता है।
- ऐसे में, वह स्वंय ही नहीं बल्कि उसका परिवार भी , अराजक तत्वों के निशाने पर आ जाते हैं। जहाँ उन पर अपने ही धर्म में शादी का दबाव डाला जाता है।
- इसके अलावा, ये भी देखा गया है कि लड़की चाहे किसी भी समुदाय की हो परेशानी सबसे ज्यादा उसे ही उठानी पड़ती है।

## 4. निर्णय का आधार एवं प्रभाव

- एक मुस्लिम छात्र से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाने वाली हादिया, विवाह मामलें (2018) में उच्चतम न्यायालय ने जीवनसाथी चुनने के अधिकार को एक मूल अधिकार माना था।
- इससे अंतर-धार्मिक एवं अंतर्जातीय विवाह में आने वाली बाधायें कम होंगी, जिससे धर्मनिरपेक्षता और समानता को मजबूती मिलेगी। साथ ही असामाजिक तत्त्व और तथाकथित समाज के ठेकेदारों पर प्रतिबंध लगेगा।
- विशेष विवाह की कठिनाईयों से धर्म परिवर्तन की घटनायें होती थी, उसमें भी रूकावट आयेगी। इसके अलावा महिलाओं पर होने वाली परिवारिक हिंसा में कमी आयेगी।

## 5. क्या है विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4,5 ?

- विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, दोनों पक्षों में से किसी एक का कोई जीवनसाथी नहीं होना चाहिये व दोनों वयस्क हों जिससे वह अपने विषय में निर्णय लेने में सक्षम हों।
- इसके अतिरिक्त पुरुष की आयु कम से कम 21 और महिला की आयु कम से कम 18 होनी चाहिए।
- दोनों पक्ष उन कानूनों के तहत, जो उनके धर्म विशेष पर लागू होता है, निर्धारित निषिद्ध संबंधों, जैसे-अवैध या वैध रक्त संबंध, गोद लेने से संबंधित व्यक्ति, में नहीं होना चाहिये।
- विशेष विवाह अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विवाह के लिए इच्छुक पक्षकारों द्वारा जिले के विवाह-अधिकारी को एक सूचना दी जानी आवश्यक है। इसके अलावा, विवाह हेतु आवेदन करने वाले पक्षकार को जिले में, सूचना दिए जाने की तिथि से, तीस दिनों से अधिक समय से निवास करना आवश्यक होता है।

# 05 अनाज निर्यात एवं भारत

## 1. चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ने जुलाई-जून (2020-21) के लिए भारतीय गेहूं निर्यात के अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर 1.8 मिलियन टन कर दिया, जबकि इसके पहले के अनुमान के अनुसार यह एक मिलियन टन था। यह पिछले छह वर्षों में सबसे अधिक होगा।

## 2. प्रमुख बिन्दु

- बढ़ती वैश्विक कीमतों ने भारतीय निर्यात के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश गेहूँ को ज्यादातर रूस से आयात करता है लेकिन रूस ने अब घरेलू कीमतों का मुकाबला करने के लिए गेहूँ पर निर्यात कर अधिरोपित किया है, ऐसे में बांग्लादेश, भारत से गेहूँ का आयात कर सकता है।

## 3. भारत से गेहूं का निर्यात एवं संबधित चुनौतियाँ

- विश्लेषकों का मानना है कि सरकार गेहूँ पर 19,750 रूपये प्रति टन न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है, जो प्रतिस्पर्द्धी नहीं है। इसके अतिरिक्त सफाई, बैगिंग, लोडिंग और परिवहन की लागत अत्यधिक होने से निर्यात को बढ़ावा नहीं मिल पाता।
- विश्व में अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक होने के बावजूद भारत सरकार गेहूँ के सीमित निर्यात की अनुमति ही है।
- गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में एमएसपी से कम मूल्य वाले गेहूँ का भंडारण उचित तरीके से नहीं हो पा रहा है।
- हालाँकि माना जा रहा है मार्च के बाद से बाजारों में आने वाली नई फसल और गेहूं को रेल द्वारा बांग्लादेश में निर्यात किया जा सकता है साथ ही मध्य पूर्व (यूएई, ओमान और बहरीन) और दक्षिण पूर्व एशिया (इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया) में भी भेजा जा सकता है।

## 4. भारत से चावल का निर्यात

- यूएसडीए की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय चावल के आयात ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वर्ष 2020 में भारत ने 14.4 मीट्रिक टन चावल का आयात किया है। हालांकि देश के निकटतम प्रतिद्वन्दी थाईलैंड और वियतनाम को इस दौरान चावल की उत्पादकता में कमी का सामना करना पड़ा है।
- दिसंबर 2020 में चीन के बाद पहली बार दोनों ने हाल ही में 70,000 टन भारतीय चावल का अनुबंध किया है। गौरतलब है कि दिसम्बर में चीन ने भारत के गैर बासमती चावल निर्यातकों को एक लाख टन चावल सप्लाई करने का आर्डर दिया था।
- यूएसडीए ने 2021 में भारतीय चावल के आयात को 14 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया है। साथ ही बांग्लादेश द्वारा 2020 में जो सिर्फ 80,000 टन चावल का आयात किया गया था, इस साल एक लाख टन खरीदने की उम्मीद है और इसका लाभार्थी फिर से भारत ही होगा।

## 5. निष्कर्ष

- सरकार ने वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को बढ़ाकर 60 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे निकट भविष्य में 100 अरब डॉलर तक ले जाने की उम्मीद है।
- सरकार की मंशा अपनी कृषि निर्यात नीति में भारत को शीर्ष 10 कृषि उत्पाद निर्यात करने वाले देशों की सूची में शामिल करना है। फिलहाल भारत की वैश्विक कृषि निर्यात में हिस्सेदारी मात्र 2.2 फीसद है, जिसे बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। गेहूं, चावल व चीनी के मामले में भारत खपत से अधिक उत्पादन यानी सरप्लस वाला देश बन चुका है।

# 06 क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंध

## 1. चर्चा का कारण

- हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने क्यूबा पर "सरकार समर्थित आतंकवाद" का दोष लगा कर इस देश पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने क्यूबा से विमानों की आवाजाही, कारोबार और आर्थिक लेनदेन पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। यह फैसला अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन के सत्ता की कमान संभालने से कुछ दिन पहले ही लिया गया है।

## 2. प्रमुख बिन्दु

- अमेरिका उन देशों को सूचीबद्ध करता है जो बार-बार आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। इस सूची को पहली बार 1979 में इराक, लीबिया, सीरिया और दक्षिण यमन के साथ जारी किया गया था।
- अमेरिका का कहना है कि अमेरिकी भगोड़ों को क्यूबा में शरण मिलती है। इसके साथ ही अमेरिका ने क्यूबा पर कोलंबियाई गुरिल्ला कमांडरों का प्रत्यर्पण करने से इनकार करने और वेनेजुएला में निकोलस मादुरो का समर्थन करने के आरोप भी लगाए।
- मादुरो का समर्थन करने के लिए क्यूबा की आलोचना करने के साथ ही ट्रंप प्रशासन का यह भी मानना था कि अमेरिकी राजनयिकों पर कथित सैनिक हमले के पीछे क्यूबा का हाथ हो सकता है। 2016 के आखिर में हवाना में हुए इन हमलों के बाद दर्जनों अमेरिकी राजनयिकों को दिमागी बीमारी हुई थी। इसे हवाना सिंड्रोम का नाम दिया गया था और इसने दोनों देशों के बीच संबंधों को और खराब कर दिया था।
- मई 2020 में अमेरिकी विदेश विभाग ने क्यूबा को उन देशों की सूची में डाला जो अमेरिका के आतंकवाद रोधी कार्यक्रमों में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे विदेश विभाग का कहना था कि कोलंबिया के विद्रोही गुट नेशनल लिबरेशन आर्मी के कई सदस्य क्यूबा में हैं जबकि कोलंबिया की सरकार उनके प्रत्यर्पण की मांग लगातार कर रही है।
- नेशनल लिबरेशन आर्मी को अमेरिका और कोलंबिया ने आतंकवादी संगठन माना है। क्यूबा इस अनुरोध को खारिज करता है। उसका कहना है कि यह कोलंबिया सरकार के साथ शांति की कोशिशों के लिए जो प्रोटोकॉल तय किए गए हैं उनका उल्लंघन होगा।

## 3. तनावपूर्ण सम्बन्धों का ऐतिहासिक कारण

- 1959 में फिदेल कास्त्रो के देश का शासन अपने हाथ में लेने के बाद से अमेरिका के साथ क्यूबा के रिश्तों में ठहराव आ गया था। इसके बाद अमेरिका ने वर्ष 1961 में क्यूबा के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिये और फिदेल कास्त्रो के शासन को उखाड़ फेंकने के लिये गुप्त अभियान भी शुरू किया।

## 4. आतंकवाद के प्रायोजकों की सूची का इतिहास

- क्यूबा को 1992 में, ईरान को 1984 में जोड़ा गया। बाद में उत्तर कोरिया और सूडान को क्रमशः 1988 और 1993 में जोड़ा गया। दक्षिण यमन को 1990 में हटा दिया गया था। इराक को दो बार सूची से हटाया गया, 1982 में एक बार और फिर 2004 में। लीबिया को 2006 में सूची से हटाया गया। उत्तर कोरिया को 2008 में हटा दिया गया और 2017 में फिर से जोड़ा गया। क्यूबा को 2015 में हटाया गया था और अब फिर से जोड़ा गया है।
- वर्तमान में ईरान, सीरिया और उत्तर कोरिया आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में हैं। हाल ही में सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया गया था।

## 5. क्यूबा की प्रतिक्रिया

- क्यूबा उन अमेरिकी भगोड़ों को अमेरिका के हाथ में सौंपने से लगातार इनकार करता रहा है जिन्हें उसने अपने यहां शरण दे रखी है। इनमें 1970 के दशक का वह काला चरमपंथी भी शामिल हैं जिसे न्यूजर्सी के सैनिक को मारने का दोषी माना गया।
- क्यूबा ने राजनीतिक शरण देने के अलावा मुफ्त में घर और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ कुछ दूसरी सुविधाएं भी दे रखी हैं। साथ ही वह यह भी दावा करता है कि अमेरिका के पास उन्हें लौटाने की मांग करने का कोई कानूनी या नैतिक आधार नहीं है।

# 07 ओपन स्काई संधि से अलग हुआ रूस

## 1. चर्चा का कारण

- हाल ही में रूस ने मुक्त आकाश समझौते या ओपन स्काई संधि (open sky treaty-OST) से खुद को अलग कर लिया है। गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिका मुक्त आकाश संधि से अलग हो चुका है। रूस ने कहा कि, अमेरिका 2020 में इस समझौते से अलग हो गया था, इसलिए संतुलन कायम करने के लिए रूस का यह निर्णय लेना जरूरी हो गया था।

## 2. ओपन स्काई संधि क्या है?

- अमेरिकी राष्ट्रपति डी. आइजनहावर (Dwight Eisenhower) ने पहली बार जुलाई, 1955 में मुक्त आकाश संधि को लेकर प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ (Soviet Union) एक दूसरे के क्षेत्र में टोही उड़ानों की अनुमति दें। उस समय संधि को लेकर कुछ खास नहीं हो पाया।
- इसके बाद मई 1989 में जब राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश ने फिर प्रस्ताव पेश किया। फिर नाटो देशों के बीच बातचीत शुरू हुई। इसके बाद फरवरी 1990 में वारशॉ पैक्ट लागू हुआ।
- कुछ देशों ने 24 मार्च 1992 को संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन रूस ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। हालांकि, 1 जनवरी 2002 में रूस ने भी मुक्त आकाश संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और ये लागू हो गई।
- इस संधि पर अब तक 34 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। किर्गिस्तान संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 35वां देश है, लेकिन उसने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। मुक्त आकाश संधि के तहत 1,500 से अधिक उड़ानों का संचालन किया गया है।

## 3. ओपन स्काई संधि का उद्देश्य

- आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक, इन उड़ानों का मकसद सैन्य गतिविधि के बारे में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। साथ ही संधि के तहत हथियारों के नियंत्रण और अन्य समझौतों की निगरानी करना है।
- संधि में सभी देश अपने सभी क्षेत्रों को निगरानी उड़ानों के लिए उपलब्ध कराने पर सहमत हैं। हालांकि, रूस ने अभी भी कुछ क्षेत्रों में उड़ानों पर प्रतिबंध लगा रखा है।
- संधि की शर्तों के मुताबिक, निगरानी विमान सेंसर से लैस होने चाहिए जो आर्टिलरी, लड़ाकू विमान और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों जैसे महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों की पहचान करने की निगरानी दल को क्षमता मुहैया करा सकते हों। हालांकि, सेटेलाइट्स के जरिये इससे कहीं ज्यादा और विस्तृत जानकारी आसानी से जुटाई जा सकती है। बावजूद इसके ये संधि की गई, क्योंकि इसके सभी सदस्य देशों के पास सेटेलाइट्स से निगरानी करने की क्षमता उपलब्धल नहीं है।

## 4. अमेरिका ओपन स्काई संधि से क्यों अलग हुआ था?

- अमेरिका ने मई 2020 में संधि तोड़ते हुए रूस पर ही आरोप लगाया था कि वो संधि के बहाने से टोह लेने की कोशिश कर रहा था। दरअसल साल 2017 में एक रूसी विमान ने अमेरिका के गोल्फ कोर्स पर उड़ान भरी थी। इसी बात का हवाला देते हुए अमेरिका ने खुद को संधि से बाहर कर लिया था।

## 5. प्रभाव

- ओपन स्काई ट्रीटी से अमेरिका और रूस के बाहर आने से साफ है कि उनके बीच तनाव दोबारा बढ़ सकता है। साल 2019 में भी दोनों ही देश आईएनएफ (Intermediate-Range Nuclear Forces treaty -INF) संधि से अलग हो गए थे। आईएनएफ संधि साल 1987 में दोनों के बीच हुआ अहम करार मानी जाती थी। इसके तहत दोनों ने ही मध्यम दूरी के घातक हथियारों को नष्ट करने का करार किया था ताकि परमाणु हथियारों की दौड़ रोकी जा सके। हालांकि ओपन स्काई संधि और आईएनएफ संधि एक दूसरे से अलग हैं।
- विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर एक और लेकिन बेहद अहम संधि पर हो सकता है। 'New START' नाम की ये संधि परमाणु नियंत्रण संधि है, जो फरवरी 2021 में समाप्त होने जा रही है। अगर ऐसे में तनाव बना रहा तो संधि आगे बढ़ने की बजाए खत्म हो जाएगी, जिससे दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस तेजी से चल पड़ेगी।

# 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

## 01 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पाँच वर्ष

**प्र. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था।
2. इस योजना में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल मामले में बीमा प्रीमियम 5% रखा गया है।
3. भारतीय कृषि बीमा कंपनी इस योजना को चलाती है।

**उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

**उत्तर: (b)**

**व्याख्या :** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 13 जनवरी, 2016 (न कि 2018) को शुरू किया गया था। इस योजना में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल मामले में बीमा प्रीमियम 5% रखा गया है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी इस योजना को चलाती है। इस तरह कथन 1 गलत है, अत: उत्तर (b) होगा।

## 02 इंडो-पैसिफिक पर अमेरिका की रिपोर्ट

**प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. इंडो-पैसिफिक पर सुरक्षा से जुड़े मामलों पर जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने के लिए भारत को मजबूत करना आवश्यक है।
2. परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों (एनएनजी) के समूह में भारत सहित 40 देश शामिल हैं।

**उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

**उत्तर: (a)**

**व्याख्या :** परमाणु आपूर्तिकर्त्ता देशों (एलएसजी) के समूह में भारत शामिल नहीं है। इंडो-पैसिफिक पर सुरक्षा से जुड़े मामलों पर जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने के लिए भारत को मजबूत करना आवश्यक है। इस तरह कथन 2 गलत है, अत: उत्तर (a) होगा।

## 03 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0

**प्र. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. इस योजना का लक्ष्य जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण के लिए मांग आधारित कार्यक्रम चलाना है।
2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरूआत वर्ष 2015 में की गई थी।
3. इस योजना को भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है।

**उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

**उत्तर: (d)**

**व्याख्या :** इस योजना का लक्ष्य जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण के लिए मांग आधारित कार्यक्रम चलाना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरूआत वर्ष 2015 में की गई थी। इस योजना को भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। इस तरह तीनों कथन सही हैं, अत: उत्तर (d) होगा।

## 04 विशेष विवाह अधिनियम, 1954

**प्र. विशेष विवाह अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6 के अनुसार भावी विवाह का नोटिस प्रकाशित करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
2. विशेष विवाह अधिनियम भारत में अंतरधार्मिक एवं अंतर्जातीय विवाह को पंजीकृत करने एवं मान्यता प्रदान करने हेतु बनाया गया है।

**उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

**उत्तर: (c)**

**व्याख्या :** विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6 के अनुसार भावी विवाह का नोटिस प्रकाशित करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। विशेष विवाह अधिनियम भारत में अंतरधार्मिक एवं अंतर्जातीय विवाह को पंजीकृत करने एवं मान्यता प्रदान करने हेतु बनाया गया है, इस तरह दोनों कथन सही हैं। अतः उत्तर (c) होगा।

## 05 अनाज निर्यात एवं भारत

**प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. यूएसडीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय चावल के आयात को 14 मिलियन टन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।
2. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गेहूं का एमएसपी बढ़ाकर 1925 रुपये प्रति कुंटल कर दिया है।

**उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

**उत्तर: (c)**

**व्याख्या:** यूएसडीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय चावल के आयात को 14 मिलियन टन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गेहूं का एमएसपी बढ़ाकर 1925 रुपये प्रति कुंटल कर दिया है। इस तरह दोनों कथन सही है, अतः उत्तर (c) होगा।

## 06 क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंध

**प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने क्यूबा पर सरकार समर्थित आतंकवाद का दोष लगा कर इस देश पर नए प्रतिबंध लगा दिया है।
2. क्यूबा को इससे पहले वर्ष 2016 में आतंकवाद के प्रयोजकों की सूची से हटा दिया गया था।
3. वर्तमान में ईरान, सीरिया और उत्तर कोरिया आतंकवाद प्रयोजक देशों की सूची में शामिल हैं।

**उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

**उत्तर: (b)**

**व्याख्या :** क्यूबा को इससे पहले वर्ष 2015 (न कि 2016) में आतंकवाद के प्रयोजकों की सूची से हटा दिया गया था। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने क्यूबा पर सरकार समर्थित आतंकवाद का दोष लगा कर इस देश पर नए प्रतिबंध लगा दिया है। वर्तमान में ईरान, सीरिया और उत्तर कोरिया आतंकवाद प्रयोजक देशों की सूची में शामिल हैं। इस तरह कथन 2 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

## 07 ओपन स्काई संधि से अलग हुआ रूस

**प्र. ओपन स्काई संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. ओपन स्काई संधि से संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2019 में अलग हुआ था।
2. ओपन स्काई संधि पर अब तक 44 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं।

**उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

**उत्तर: (d)**

**व्याख्या:** ओपन स्काई संधि से संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2020 में अलग हुआ था। इस संधि पर अब तक 34 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस तरह दोनों कथन गलत है, अतः उत्तर (d) होगा।

# 7 महत्वपूर्ण खबरें

## 01 हाथ से बने कपड़े 'रीसा' को प्रोत्साहित करने की घोषणा

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हाथ से बने कपड़े रिसा को प्रोत्साहित करने की घोषणा की है।

### रीसा क्या है

- 'रीसा' (Risa), त्रिपुरा के स्वदेशी जनजातीय समुदायों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हाथ से बुना हुआ एक पारंपरिक वस्त्र है। यह त्रिपुरा में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक के तीन भागों में से एक है, अन्य दो वस्त्र रिग्नाई और रिकुटु हैं। रीसा का उपयोग एक सिर की पगड़ी, दुपट्टा और महिलाओं के ऊपरी वस्त्र के रूप में किया जाता है तथा इसे किसी व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए भेंट किया जाता है।
- लुशाई जनजाति की महिलाओं की वेशभूषा में महीन तत्व कम होता है। स्कर्ट या पेटीकोट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हर महिला गहरे नीले रंग का सूती कपड़ा पहनती है। कमर के चारों ओर लिपटा यह कपड़ा पीतल के तार के सहारे मजबूती से जकड़ा होता है।
- रिटुकु शरीर के ऊपरी आधे हिस्से तक लिपटा रहता है। हालाँकि, यह भारतीय साड़ी या चुनरी के पल्लू की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग नव विवाहित त्रिपुरी महिलाओं के सिर को ढंकने के लिए भी किया जाता है।

### महत्व

- अपने खूबसूरत डिजाइनों के अलावा, रीसा की कई महत्वपूर्ण सामाजिक उपयोगिता भी है। 12-14 साल की किशोर त्रिपुरी लड़कियों को सबसे पहले रिसा पहनने के लिए तब दिया जाता है जब वह रीसा सरोमनी नामक एक कार्यक्रम में जाती हैं। इस कार्यक्रम में लैंपरा भगवान की प्रार्थना की जाती हैं। यहा पर उनसे बड़ी महिलाएँ जीवन भर उनकी सलामती की प्रार्थना करती हैं। हालाँकि, यह धार्मिक त्योहारों जैसे कि गरिया पूजा, आदिवासी समुदायों के प्रथागत त्यौहार या शादियों और त्यौहारों के दौरान पुरुष लोगों द्वारा सिर पर पगड़ी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों के दौरान युवा लड़कियों और लड़कों के लिए सिर पर दुपट्टा, मफलर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।

### इतिहास

- त्रिपुरी लोगों का दावा है कि इस पोशाक का निर्माण माणिक्य राजाओं के शासन से भी पहले हुआ था। प्राचीन दिनों में, वे इन समुदायों की महिलाओं की बुद्धिमत्ता को उसकी बुने हुए रिग्नाई और रिसा डिजाइनों के आधार पर आंकते थे। हालांकि महाराज त्रिलोचन, उर्फ सुभराई जो कि प्रारंभिक माणिक्य राजाओं में से एक हैं-के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी 250 पत्नियों के लिए अपने समय में रिग्नाई के लगभग 250 डिजाइनों का आविष्कार किया था।

# 02 शैडो उद्यमी

## चर्चा में क्यों?

- हाल ही में किये गए एक सर्वे के अनुसार वित्त (आसान ऋण के लिये), सट्टेबाजी की अर्थव्यवस्था (ऑनलाइन गेम); शिक्षा (प्रमाण पत्र), और स्वास्थ्य सेवा (ई-फार्मेसी) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर शैडो उद्यमियों (Shadow Entrepreneurship) की उपस्थिति में वृद्धि देखी गई है।

## शैडो उद्यमी के बारे में

- शैडो उद्यमी से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो वैध वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित व्यवसाय का प्रबंधन करते हैं। यद्यपि वे अपने व्यवसायों का पंजीकरण नहीं कराते हैं अर्थात वे कर का भुगतान नहीं करते हैं तथा सरकारी अधिकारियों की पहुँच के बाहर शैडो अर्थव्यवस्था में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करते हैं।
- इस प्रकार के व्यवसायों में बिना लाइसेंस वाली टैक्सी सेवा, सड़क किनारे भोजन स्टाल लगाना और छोटे भू-निर्माण आदि कार्य शामिल हैं। इंपीरियल कॉलेज बिजनेस स्कूल (Imperial College Business School) द्वारा 68 देशों पर किये गए एक अध्ययन के अनुसार, इंडोनेशिया के बाद भारत में सबसे अधिक शैडो उद्यमी हैं।

## शैडो उद्यमी के फायदे

- शैडो उद्यमी का सबसे बड़ा लाभ रोजगार में वृद्धि से है। इसके अलावा इससे गरीबी में कमी तथा आर्थिक विकास में बृद्धि होती है। इसके साथ ही गैर कृषि रोजगार प्रदान करने से कृषि पर दबाव कम होता है तथा उपभोक्ताओं के लिये विविध विकल्प मौजूद होते हैं।

## शैडो उद्यमियों के विकास का कारण

- **प्रौद्योगिकी विकास:** शैडो उद्यमिता को प्रौद्योगिकी-सक्षम नए बाजारों द्वारा भी बढ़ावा मिलता है और इसमें नए तथा तकनीकी ज्ञान रखने वाले उपभोक्ताओं का प्रवेश भी होता है।
- **COVID-19 का प्रभाव:** शैडो उद्यमी, प्रौद्योगिकी सेवाओं के माध्यम से ऐसी पूरक सेवाएँ प्रदान करते हैं जिन्हें सुनिश्चित करने में पारंपरिक सेवा प्रदाता सक्षम नहीं होते या लॉकडाउन के कारण उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में सक्षम नहीं हो पाए।
- **कराधान और प्रवर्तन:** शिथिल प्रवर्तन के साथ उच्च कर की दर कर से बचने, औपचारिक व्यवसायों में निवेश को हतोत्साहित करने और अनौपचारिक क्षेत्र की ओर उद्यमशीलता की गतिविधि को प्रेरित करती है।

# 03 भारत का सबसे महंगा मशरूम

## चर्चा में क्यों?

- हाल ही में नीती अयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में उगने वाले भारत के सबसे महंगे मशरूम के लिए भौगोलिक संकेत (Geographical Indication- GI) की मांग की जा रही है।

## मुख्य तथ्य

- विश्व के सबसे महंगे मशरूमों में से एक, यह मशरूम जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के समशीतोष्ण वनों में पाया जाता है। स्थानीय रूप से गुच्छी (Gucchi) अथवा मोरेल (Morel) के नाम से जाना जाने वाला इस मशरूम की कीमत बीस हजार रुपए प्रति किलो से भी अधिक होती है। यह स्थानीय किसानों और आदिवासियों द्वारा इस मशरूम को वन उपज के रूप एकत्र किया जाता है। इस मशरूम का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है विशेषकर प्रदाहनाशी (Anti-Inflammatory) के रूप में।

## भौगोलिक संकेतक

- भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडीकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। दूसरे शब्दों में भौगोलिक चिन्ह या संकेत (जीआई) का शाब्दिक अर्थ एक ऐसे चिन्ह से है, जो वस्तुंओं की पहचान (यथा-कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएँ या विनिर्मित वस्तुएँ आदि) एक देश के किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होने के आधार पर करता है, जहां उक्त वस्तुओं की दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य कोई विशेषताएं इसके भौगोलिक उद्भव में अनिवार्यत: योगदान देती हैं।
- इस प्रकार जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है।

## यह दो प्रकार के होते हैं-

- पहले प्रकार में वे भौगोलिक नाम हैं जो उत्पाद के उद्भव के स्थान का नाम बताते हैं जैसे शैम्पेन, दार्जीलिंग आदि।
- दूसरे गैर-भौगोलिक पारम्परिक नाम हैं जो यह बताते हैं कि एक उत्पाद किसी एक क्षेत्र विशेष से संबद्ध है जैसे अल्फोंसो, बासमती, रसगुल्ला आदि।

## किन वस्तुओं/पदार्थों को दिया जा सकता है जीआई टैग?

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार निम्नलिखित उत्पादों को जीआई टैग दिया जा सकता है-
- **कृषि उत्पादों:** जैसे चावल, जीरा, हल्दी, नींबू आदि।
- **खाद्यान्न वस्तुओं:** जैसे रसगुल्ला, लड्डू, मंदिर के विशिष्ट प्रसाद आदि।
- **वाइन और स्पिरिट पेय:** जैसे शैम्पेन और गोआ के एल्कोहलिक पेय पदार्थ फेनी आदि।
- **हस्तशिल्प वस्तुएं (हैंडीक्राफ्ट्स):** जैसे मैसूर सिल्क, कांचीवरम सिल्क आदि।
- इसके साथ ही मिट्टी से बनी मूर्तियां (टेराकोटा) और औद्योगिक उत्पाद आदि।

## जीआई टैग से लाभ

- जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
- जीआई टैग के द्वारा उत्पादों के अनधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है।
- यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का महत्व बढ़ा देता है।
- जीआई टैग के द्वारा सदियों से चले आ रहे परंपरागत ज्ञान को संरक्षित एवं उसका संवर्धन किया जा सकता है।
- जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है।
- इसके द्वारा टूरिज्म और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

## भारत और विश्व में भौगोलिक संकेतक से जुड़े कानून

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक संकेतक का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) पर समझौते के तहत किया जाता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और सरंक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत किया जाता है, जिसे सितंबर 2003 से लागू किया गया था।
- वर्ष 2004 में 'दार्जिलिंग टी' जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद बना था।
- गौरतलब है कि भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिये ही मान्य होता है। इसके बाद इसका पुनः नवीनीकरण कराया जा सकता है।

# 04 भारत नवाचार सूचकांक, 2020

## चर्चा में क्यों?

- हाल ही में नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (Global Innovation Index) की तर्ज पर विकसित किया गया है।

## परिचय

- भारत नवाचार सूचकांक, नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कंपिटिटिवनेस (Institute for competitiveness) द्वारा तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स का उद्देश्य भारतीय राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में नवाचार को प्रोत्साहित करने और उनके बीच नवाचारों के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करना है।
- नीति आयोग की यह पहल वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पर जारी किया जाता है जो विभिन्न देशों के मध्य नवाचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है। नीति आयोग द्वारा जारी इस सूची के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर नवाचार की चुनौतियों का सामना करने में मजबूती मिलेगी।
- इस सूची में राज्यों को तीन भागों में विभक्त किया गया है-बड़े राज्य, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश और छोटे राज्य। इस सूचकांक को तैयार करने में दो मुख्य पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है- नवाचार क्षमता (Enablers) और नवाचार प्रदर्शन (Performance)। विदित हो कि भारत नवाचार सूचकांक का पहला संस्करण वर्ष 2019 में जारी किया गया था।
- भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल का स्थान है। केंद्र शासित प्रदेशों और उत्तर-पूर्वी तथा पहाड़ी

राज्यों में, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश क्रमशः शीर्ष स्थानों पर हैं। भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण राज्यों को अपने नवाचार पर्यावरण का मूल्यांकन करने और उनकी प्रगति के आकलन को जारी रखने में मदद करेगा।

### वैश्विक नवाचार सूचकांक

- हाल ही में इस सूचकांक के 8वें संस्करण-वैश्विक नवाचार सूचकांक-2020 को जारी किया गया। इसकी थीम- Who will finance Innovation था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा कार्नेट विश्वविद्यालय और INSEAD के साथ मिलकर वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index) जारी किया जाता है।
- पिछले साल भारत को 52वाँ स्थान प्राप्त हुआ था तो इस साल भारत का स्थान 48वां है अर्थात 4 अंकों का सुधार हुआ है और भारत अंडर-50 देशों में शामिल हो गया है। इस सूचकांक में पिछले कुछ वर्षों में भारत लगातार सुधार कर रहा है। 2015 (81वाँ), 2016 (66वाँ), 2017 (60वाँ), 2018 (57वाँ), 2019 (52 वाँ) और 2020 में 48वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड इस सूचकांक में लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है।

## 05 मोटर बाइक एम्बुलेंस 'रक्षिता'

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के दिल्ली स्थित नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान ने बाइक आधारित कैजुअल्टी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन, रक्षिता को एक समारोह में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंपा।

### लाभ

- यह बाइक एम्बुलेंस (Bike ambulance) भारतीय सुरक्षा बलों और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं में तत्काल मदद करेगी।
- यह संकीर्ण सड़कों और दूरदराज के इलाकों के लिए उपयुक्त होगी, जहां चार-पहिया एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचना मुश्किल और अधिक समय लेने वाला होता है।
- इसके अतिरिक्त, यह बाइक एम्बुलेंस अपनी कार्यक्षमता और एकीकृत आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रणाली के चलते चार-पहिया एम्बुलेंस की तुलना में तेजी से रोगियों के लिए एक चिकित्सा आपातकालीन आवश्यकता उपलब्ध करा सकती है।
- इस प्रकार, रक्षिता (Rakshita) बाइक एम्बुलेंस न केवल अर्धसैनिक और सैन्य बलों के लिए उपयोगी है, बल्कि नागरिकों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organization) भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिये देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषांगिक इकाई के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गयी थी। वर्तमान में संस्थान की अपनी 51 प्रयोगशालाएँ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत हैं।

### केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force-CRPF)

- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह बल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई, 1939 को शाही प्रतिनिधि के पुलिस (Crown Representative's Police) के रूप में अस्तित्व में आया था; जो भारत की स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर, 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद को रोकने के लिए पुलिस अभियानों में सहायता करने में निहित है।

## 06 हॉक – आई एयरक्राफ्ट

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में ( हॉक-आई एयरक्राफ्ट Hawk-i Aircraft) द्वारा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन (Smart Anti Airfield Weapon -SAAW) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

### मुख्य तथ्य

- सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में ओडिशा के तट से हॉक-आई एयरक्राफ्ट (Hawk-i Aircraft) से एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन (SAAW) का सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक बड़ी कामयाबी हासिल किया है।
- एचएएल ने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के अनुसंधान केंद्र इमरत (Research Centre Imarat -RCI) द्वारा विकसित स्वदेशी स्टैंड-ऑफ हथियार (indigenous stand-off weapon), भारतीय हॉक-एमके 132 से फायर किया गया पहला स्मार्ट हथियार है। यह हॉक-आई एयरक्राफ्ट से किया गया पहला परीक्षण (first test) था।

### हॉक एयरक्राफ्ट क्या है?

- हॉक (Hawk) ग्राउंड अटैक, फ्लाइंग ट्रेनिंग और हथियार प्रशिक्षण के लिए एक टेंडेम सीट एयरक्राफ्ट (tandem-seat Aircraft) है। इस एयरक्राफ्ट में एक लो विंग और एक ऑल-मेटल स्ट्रॅक्चर (low wing and an all-metal structure) होता है और यह 'एडर एमके 871' (Adour Mk 871) टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित होता है।

### स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन

- स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन (SAAW), एक सटीक स्ट्राइक हथियार है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के राडार, बंकर और रनवे को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। इसे डीआरडीओ के अनुसंधान केंद्र इमरत (RCI) द्वारा विकसित किया गया है। इस हथियार की रेंज 100 किमी है।

## 07 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

### चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तीन महीनों के भीतर "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" के तहत प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है।
- एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्लास्टिक कचरे का अवैज्ञानिक प्रबंधन पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है।
- न्यायाधिकरण ने कहा कि वर्ष 2016 में बनाए गए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तरत विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी को अंतिम रूप देने का कार्य बहुत धीमा है।

### प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 लाया गया था। इस नियम के तहत प्लास्टिक की थैलियों को मोटाई को बढ़ाकर 50 माइक्रोन कर दिया गया है। क्योंकि इससे कम मोटाई वाले प्लास्टिक को आसानी से रीसाइक्लिंग नहीं किया जा सकता है।
- इस नियमों को लागू करने का क्षेत्राधिकार नगरपालिका क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है, क्योंकि प्लास्टिक ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच गया है। इस नियम के तहत ऐसी कंपनियां जो अपने पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग करती हैं उन्हें ही इस प्लास्टिक के निस्तारण की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिए उत्पादकों, प्लास्टिक थैलियों/बहुस्तरीय पैकेजिंग के आयातकर्ता और विक्रेताओं से पूर्व पंजीकरण के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क का संग्रह शुरू करने का भी प्रावधान प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में किया गया है।
- ऊर्जा दक्षता और कचरे के कुशल प्रबंधन के रूप में भारतीय मार्ग के दिशा निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। 2018 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में संशोधन के माध्यम से विस्तारित निर्माता के उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility-EPR) की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया।

### विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी

- ईपीआर पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु एक रणनीति है। इस सिद्धान्त के तहत यह माना जाता है कि यदि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले उत्पादों के अपशिष्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी उत्पादन करने वाली कंपनियों को दी जाएगी तो वे पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित होंगी। EPR के अंतर्गत उत्पादकों को उपभोक्ता के द्वारा उपभोग किए

जाने के बाद बचे अपशिष्ट के निपटान के लिये एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय और भौतिक जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बाद प्लास्टिक उत्पादक कंपनियों को विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है।

- यदि कोई कंपनी EPR के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तो उस पर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और NGT एक्ट 2010 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। EPR के प्रावधानों के तहत कंपनियों को एक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम तैयार करना होता है ताकि प्लास्टिक को प्रयोग होने के बाद उसका सही प्रबंधन किया जा सके।

### एलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट (AEPW)

- एलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट (AEPW), दुनिया भर की लगभग 50 कंपनियों का एक गैर-लाभकारी गठबंधन है। इसकी स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। इसमें उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका के साथ-साथ मध्य पूर्व की कंपनियां भी शामिल हैं।
- इस गठबंधन का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए समाधान विकसित करना और उपयोग किए गए प्लास्टिक का पुन: उपयोग करके एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस गठबंधन ने प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश प्रतिबद्धता व्यक्त की है। भारत में अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट, प्रोजेक्ट 'अविरल' (Aviral) पर कार्य कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य गंगा नदी में प्लास्टिक अपशिष्ट को समाप्त करना है।

# 7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
## (मुख्य परीक्षा हेतु)

02

04

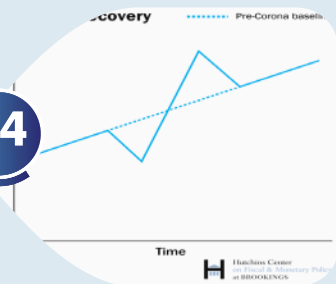


06

**01** उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के द्वारा भारत को एक विनिर्माण केन्द्र बनाने में किस प्रकार सहायता मिलेगी? चर्चा कीजिए।

**02** भारत की वैक्सीन कूटनीति विदेश नीति को एक नये आयाम प्रदान करेगी। इससे आप कितना सहमत हैं?

**03** हाल ही में मिस्र ने कतर के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों को पुनः बहाल करने की घोषणा की है। मिस्र के इस कदम से खाड़ी देशों पर होने वाले प्रभावों की चर्चा करें।

**04** Z-आकार की आर्थिक बहाली क्या है? टिप्पणी करें।

**05** सोशल मीडिया लोगों की गोपनीयता को किस प्रकार प्रभावित कर रही है?

**06** भारत में किसानों की मुख्य समस्या कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन की कमी है या फिर कुछ और। टिप्पणी करें।

**07** सामाजिक परिवर्तन और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एक प्रभावी एवं व्यापक उपकरण है। इस कथन से आप कितना सहमत हैं? चर्चा करें।

# 7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

03

05

**01** गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है?

*फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ*

**02** किस राज्य ने ड्रैगन फल को 'कमलम' नाम दिया है?

*गुजरात*

**03** किस देश ने भारत के साथ 'STARStreak Air Defence System' बनाने के लिए समझौता किया है?

*यूनाइटेड किंगडम*

**04** 'ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स 2021' में भारत की रैंक क्या है?

4th

**05** कौन सा देश भारत के साथ 'एक्स डेजर्ट नाइट-21' वायु युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया?

*फ्रांस*

**06** किस राज्य ने 'भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020' के बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है?

*कर्नाटक*

**07** विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

*श्री नरेंद्र मोदी*

# 7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

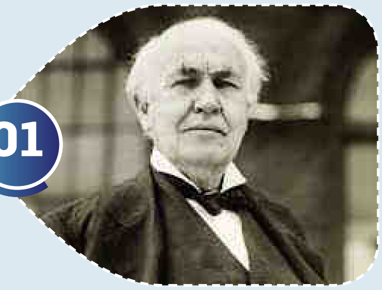

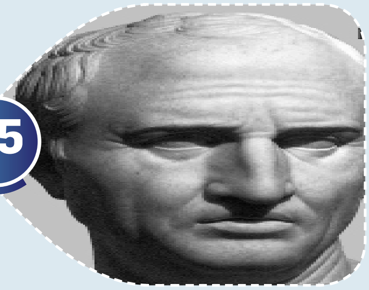

**01** सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है एक के बाद एक तब तक कोशिशें करते रहना जब तक कि आप सफल न हो जाएं।

*थॉमस एडिसन*

**02** जीवन में आने वाली रोशनी हमेशा नई शुरूआत का इशारा होती है।

*टेरेसा सेलेकी*

**03** अपने भविष्य के सपने को वर्तमान में जीना शुरू कर दें, सपना सच हो जाएगा।

*मिकी रूनी*

**04** बुरे समय में किसी का साथ निभाना ही सच्ची दोस्ती और इंसानियत है।

*स्वेट*

**05** मित्र और मित्रता के बिना जीवन कुछ भी नहीं है।

*मार्क्स टूल्लियस सिसेरो*

**06** कामयाबी के लिए धैर्यपूर्वक कोशिश करें और निराशा से बचें।

*हन्नाह ब्रोन्फमैन*

**07** किसी भी प्रयास को सफल बनाने के लिए खुद पर विश्वास करें।

*ओ हेनरी*

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

## AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

## DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.


## Face to Face Centres

**DELHI (MUKHERJEE NAGAR)** : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

## Live Streaming Centres

**BIHAR**: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

# Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

**नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।**

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

**Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009**
**Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400**

# Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

**नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |**

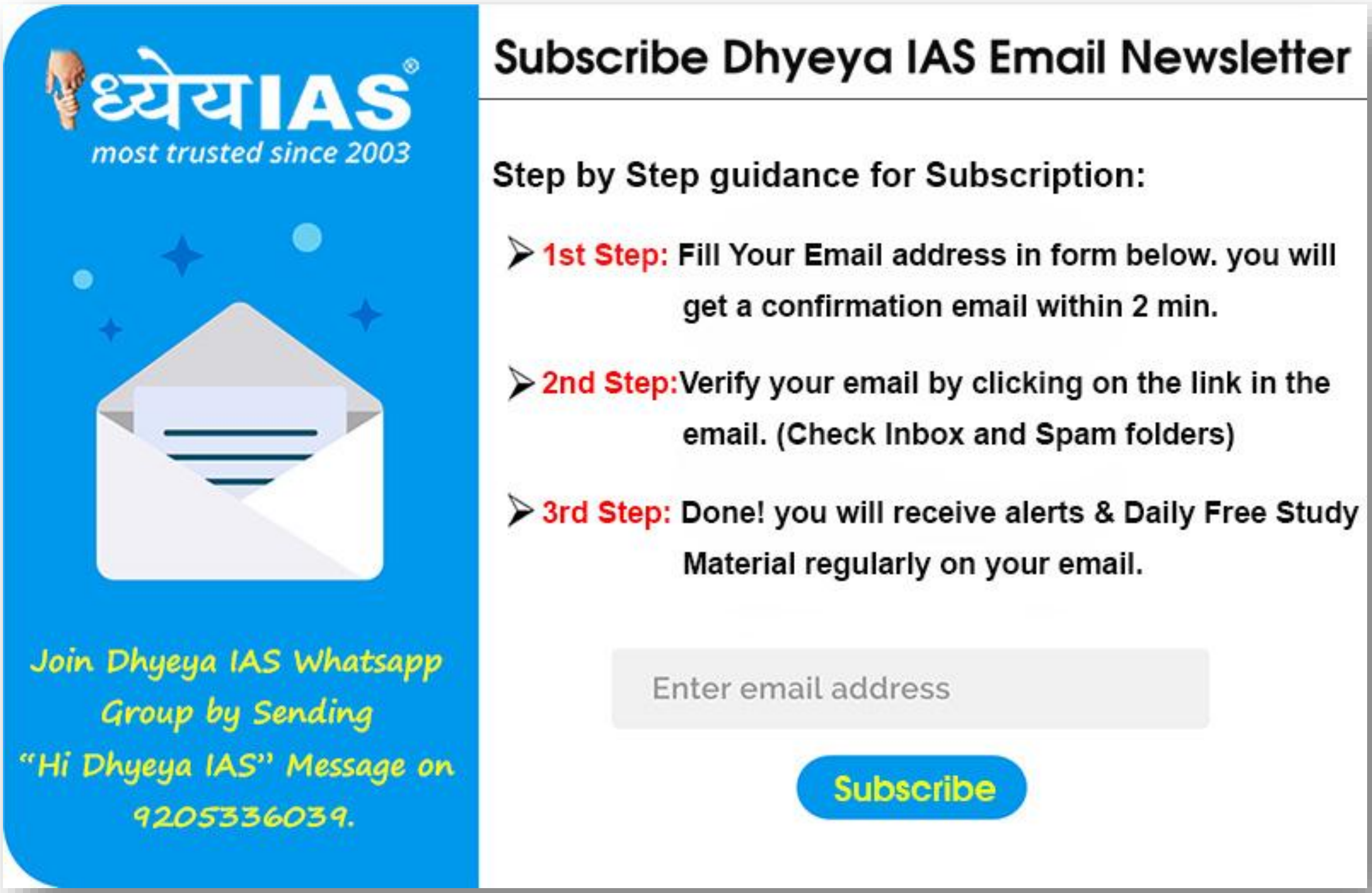


ध्येयIAS
most trusted since 2003
**Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009**
**Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400**

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

# ADMISSIONS OPEN

## FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com